नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं पर अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2007 से 3/2010

भाग–1

1 गत अंकेक्षणः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/53 से 3/56 :–

1	परा–4	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/56 से 3/57 :–

1	पैरा–10 (क)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/58 से 3/59 :–

1	पैरा–8 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (4)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/59 से 3/60 :–

1	पैरा–5	अनिर्णीत

(ड.) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेश की निरीक्षण रिपोर्ट संख्या (5) (100)–3634, दिनांक 14.11.61

1	पैरा–1 (1) (4)	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/60 से 3/61 :–

1	पैरा–13 (2) (4)	अनिर्णीत
2	पैरा–16 (3)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/61 से 3/62 :–

1	पैरा–5	अनिर्णीत
2	पैरा–11 (3)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/62 से 3/64 :–

1	पैरा–5(1) (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (2) (3)	अनिर्णीत
3	पैरा–10	अनिर्णीत
4	पैरा–10 (1) (2) (3) (8)	अनिर्णीत
5	पैरा–14	अनिर्णीत
6	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
7	पैरा–17 (2)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/64 से 3/66 :–

1	पैरा–9 (a)	अनिर्णीत
2	पैरा–11	अनिर्णीत
3	पैरा–11 (a)	अनिर्णीत
4	पैरा–11 (d)	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (5)	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा–17 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा–20 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा–20 (बी)	अनिर्णीत
12	पैरा–24 (2)	अनिर्णीत
13	पैरा–24 (3)	अनिर्णीत
14	पैरा–24 (4)	अनिर्णीत
15	पैरा–24 (5)	अनिर्णीत
16	पैरा–24 (6)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/66 से 3/67 :–

1	पैरा–11 (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–11(2)	अनिर्णीत
3	पैरा–11 (ई)	अनिर्णीत
4	पैरा–15 (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–16	अनिर्णीत
6	पैरा–17 (8)	अनिर्णीत
7	पैरा–17 (13)	अनिर्णीत
8	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा–19 (4)	अनिर्णीत
10	पैरा–20 (3)	अनिर्णीत

(ट) उप सचिव (बंजार) की 6/70 तथा परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा (हिमाचल प्रदेश) की दिनांक 6.7.73 की निरीक्षण रिर्पोट उक्त निरीक्षण रिर्पोट अंकेक्षण में पुनः प्रस्तुत नहीं की गई और न ही सटिप्पण उत्तर तैयार किये गये थे, जिस पर तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही की जाये।

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/67 से 3/71 :–

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–11	अनिर्णीत
3	पैरा–12	अनिर्णीत
4	पैरा–13	अनिर्णीत
5	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–16 (3)	अनिर्णीत
7	पैरा–16 (4)	अनिर्णीत
8	पैरा–16 (5)	अनिर्णीत
9	पैरा–16 (6)	अनिर्णीत
10	पैरा–17 (ए)	अनिर्णीत
11	पैरा–17 (बी) (1) (2)	अनिर्णीत
12	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत
13	पैरा–18	अनिर्णीत
14	पैरा–19	अनिर्णीत
15	पैरा–20	अनिर्णीत
16	पैरा–21 (1)	अनिर्णीत

17	पैरा–21 (2)	अनिर्णीत
18	पैरा–21 (3)	अनिर्णीत
19	पैरा–22	अनिर्णीत
20	पैरा–23	अनिर्णीत
21	पैरा–25	अनिर्णीत
22	पैरा–26	अनिर्णीत
23	पैरा–27	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/71 से 3/74 :–

1	पैरा–8	अनिर्णीत
2	पैरा–13	अनिर्णीत
3	पैरा–15 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा–15 (2)	अनिर्णीत
5	पैरा–15 (3)	अनिर्णीत
6	पैरा–15 (5)	अनिर्णीत
7	पैरा–17 (ए)	अनिर्णीत
8	पैरा–17 (बी)	अनिर्णीत
9	पैरा–17 (सी)	अनिर्णीत
10	पैरा–17 (डी)	अनिर्णीत
11	पैरा–17 (ई)	अनिर्णीत
12	पैरा–17 (एफ)	अनिर्णीत
13	पैरा–17 (जी)	अनिर्णीत
14	पैरा–17 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा–17 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा–20	अनिर्णीत
17	पैरा–20 (3)	अनिर्णीत
18	पैरा–24 (2)	अनिर्णीत
19	पैरा–24 (6)	अनिर्णीत
20	पैरा–24 (7)	अनिर्णीत
21	पैरा–24 (8)	अनिर्णीत
22	पैरा–25	अनिर्णीत

(ढ) (1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/74 से 3/76:–

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/76 से 3/78 :–

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/78 से 3/80 :–

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/80 से 3/82 :–

1	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–9 (21)	अनिर्णीत

(त) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/83 :–

1	पैरा–3 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–4	अनिर्णीत
3	पैरा–5	अनिर्णीत
4	परा–6	अनिर्णीत
5	पैरा–7	अनिर्णीत
6	पैरा–8	अनिर्णीत
7	पैरा–9	अनिर्णीत
8	पैरा–10	अनिर्णीत
9	पैरा–11	अनिर्णीत
10	पैरा–12	अनिर्णीत
11	पैरा–13	अनिर्णीत
12	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
15	पैरा–14 (4)	अनिर्णीत
16	पैरा–14 (6)	अनिर्णीत
17	पैरा–14 (7)	अनिर्णीत
18	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
19	पैरा–14 (बी)	अनिर्णीत
20	पैरा–14 (8) (बी)	अनिर्णीत
21	पैरा–14 (9)	अनिर्णीत
22	पैरा–14 (10)	अनिर्णीत
23	पैरा–15	अनिर्णीत
24	पैरा–16	अनिर्णीत
25	पैरा–17	अनिर्णीत
26	पैरा–18	अनिर्णीत
27	पैरा–19 (ए) (2)(3)	अनिर्णीत
28	पैरा–19 (बी)	अनिर्णीत
29	पैरा–20	अनिर्णीत

30	पैरा–21	अनिर्णीत
31	पैरा–22	अनिर्णीत

(थ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/83 से 3/84 तक

1	पैरा–3 (ए) (बी)	अनिर्णीत
2	पैरा–4	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ए)	अनिर्णीत
4	पैरा–5 (सी)	अनिर्णीत
5	पैरा–5 (जी)(1)(2)	अनिर्णीत
6	पैरा– 6 (2) (2)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (1) से (6)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (1) (2)	अनिर्णीत
9	पैरा–10 (1) (2)	अनिर्णीत
10	पैरा–11	अनिर्णीत
11	पैरा–12	अनिर्णीत
12	पैरा–13 (ए)	अनिर्णीत
13	पैरा–13 (बी) (1) (2)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (ए)	अनिर्णीत
15	पैरा–15 (ए) से (एफ)	अनिर्णीत
16	पैरा–16 (1) (2) (3)	अनिर्णीत
17	पैरा–17 (ए) (बी)	अनिर्णीत
18	पैरा–18 (ए) (बी)	अनिर्णीत
19	पैरा–18 (एफ)	अनिर्णीत
20	पैरा–19 (1) (2) (3)	अनिर्णीत
21	पैरा–23	अनिर्णीत
22	पैरा–24 (1) (ए) (बी) (सी)	अनिर्णीत
23	पैरा–24 (2) (3) (4)	अनिर्णीत
24	पैरा–25 (बी)	अनिर्णीत
25	पैरा–25 (डी) (ई)	अनिर्णीत

(द) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 25.2.91 से 31.3.92 तक

1	पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (क) (5)	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (क) (7) (8)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत

5	पैरा–8 (1) (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–9	अनिर्णीत
7	पैरा–10	अनिर्णीत
8	पैरा–11	अनिर्णीत
9	पैरा–12 (1) (2)	अनिर्णीत
10	पैरा–13 (3)	अनिर्णीत
11	पैरा–15 (क)	अनिर्णीत
12	पैरा–15 (ख) (1) (2)	अनिर्णीत
13	पैरा–15 (ख) (6)	अनिर्णीत
14	पैरा–15 (ख) (9 से 13)	अनिर्णीत
15	पैरा–18	अनिर्णीत
16	पैरा–19	अनिर्णीत
17	पैरा–20	अनिर्णीत
18	पैरा– 22 (1) (2) (3)	अनिर्णीत
19	पैरा–25	अनिर्णीत
20	पैरा–27 (2) (3)	अनिर्णीत

(ध) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/93 तक

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (ख) (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा–9	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–11	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (1) (2)	अनिर्णीत
7	पैरा–13 (1) (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–14	अनिर्णीत
9	पैरा–15 (1) (3)	अनिर्णीत
10	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत
11	पैरा–16 (ख) (3,5,7)	अनिर्णीत
12	पैरा–16 (ख) (11)	अनिर्णीत
13	पैरा–17 (1 से 4)	अनिर्णीत
14	पैरा–18	अनिर्णीत
15	पैरा–19 (क) (ख)	अनिर्णीत
16	पैरा–21	अनिर्णीत
17	पैरा–23 (1) (3)	अनिर्णीत

18	पैरा–24 (1) (2) (3)(4)	अनिर्णीत

(न) अंकेक्षण प्रतिवेदन संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि लेखा (हिमाचल प्रदेश)

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–3	अनिर्णीत
3	पैरा–4	अनिर्णीत
4	पैरा–5	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत

(प) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि अवधि 4/93 से 3/94 तक

1	पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा–9	अनिर्णीत
6	पैरा–10	अनिर्णीत
7	पैरा–11	अनिर्णीत
8	पैरा–12	अनिर्णीत
9	पैरा–13	अनिर्णीत
10	पैरा–14	अनिर्णीत
11	पैरा–15 (ख)	अनिर्णीत
12	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा–16 (ख) 1,2,3,4,6	अनिर्णीत
14	पैरा–17 (1,2,3)	अनिर्णीत
15	पैरा–18	अनिर्णीत
16	पैरा–19 (क,ख,ग)	अनिर्णीत
17	पैरा–20	अनिर्णीत
18	पैरा–21 (2)	अनिर्णीत
19	पैरा–23 (2)	अनिर्णीत
20	पैरा–24 (1)(2)	अनिर्णीत
21	पैरा–25 (2) (3)	अनिर्णीत

(फ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/94 से 3/98 तक

1	पैरा–3 (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा–8	अनिर्णीत
7	पैरा–9	अनिर्णीत
8	पैरा–10 (2)	अनिर्णीत
9	पैरा–11	अनिर्णीत
10	पैरा–12 (1)	अनिर्णीत
11	पैरा–12 (2)	अनिर्णीत
12	पैरा–13	अनिर्णीत
13	पैरा–14 (1)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (2)	अनिर्णीत
15	पैरा–14 (3)	अनिर्णीत
16	पैरा–14 (5)	अनिर्णीत
17	पैरा–14 (6)	अनिर्णीत
18	पैरा–14 (7)	अनिर्णीत
19	पैरा–14 (8)	अनिर्णीत
20	पैरा–14 (9)	अनिर्णीत
21	पैरा–14 (10)	अनिर्णीत
22	पैरा–14 (11)	अनिर्णीत
23	पैरा–14 (12)	अनिर्णीत
24	पैरा–14 (13)	अनिर्णीत
25	पैरा–14 (14)	अनिर्णीत
26	पैरा–14 (15)	अनिर्णीत
27	पैरा–14 (16)	अनिर्णीत
28	पैरा–14 (17) (1)	अनिर्णीत
29	पैरा–14 (17) (2)	अनिर्णीत
30	पैरा–14 (18)	अनिर्णीत
31	पैरा–14 (19) (1)	अनिर्णीत
32	पैरा–14 19 (2)	अनिर्णीत

33	पैरा—14 (20) (1) (2)	अनिर्णीत
34	पैरा—14 (21)	अनिर्णीत
35	पैरा—14 (22)	अनिर्णीत
36	पैरा—14 (23)	अनिर्णीत
37	पैरा—14 (24)	अनिर्णीत
38	पैरा—14 (25)	अनिर्णीत
39	पैरा—14(26)	अनिर्णीत
40	पैरा—14(27)	अनिर्णीत
41	पैरा—14 (28)	अनिर्णीत
42	पैरा—14 (29)	अनिर्णीत
43	पैरा—14 (30) (1) (2)	अनिर्णीत
44	पैरा—14 (31)	अनिर्णीत
45	पैरा—14 (32)	अनिर्णीत
46	पैरा—14 (33)	अनिर्णीत
47	पैरा—14 (35)	अनिर्णीत
48	पैरा—14 (37)	आंशिक निर्णीत
49	पैरा—14 (38)	अनिर्णीत
50	पैरा—14 (41)	आंशिक निर्णीत
51	पैरा—16 (5)	अनिर्णीत
52	पैरा—17 (क)	आंशिक निर्णीत
53	पैरा—17 (ख) (2)	अनिर्णीत
54	पैरा—17 (ग) (2)	अनिर्णीत
55	पैरा—17 (ग) (3)	अनिर्णीत
56	पैरा—17 (घ)	अनिर्णीत
57	पैरा—18	अनिर्णीत
58	पैरा—19 (1)	अनिर्णीत
59	पैरा—19 (2)	अनिर्णीत
60	पैरा—19 (3)	अनिर्णीत
61	पैरा—19 (4)	अनिर्णीत
62	पैरा—20 (1)	अनिर्णीत
63	पैरा—20 (2)	अनिर्णीत
64	पैरा—20 (3)	अनिर्णीत
65	पैरा—20 (4)	अनिर्णीत
66	पैरा—20 (5)	अनिर्णीत
67	पैरा—21	अनिर्णीत

68	पैरा–22 (1)	अनिर्णीत
69	पैरा–22 (2)	अनिर्णीत
70	पैरा–22 (5) (,1,2,3,4)	अनिर्णीत
71	पैरा–22 (6)	अनिर्णीत
72	पैरा–22 (7)	अनिर्णीत
73	पैरा–23	अनिर्णीत
74	पैरा–24	अनिर्णीत
75	पैरा–25	अनिर्णीत
76	पैरा–26 (1)	अनिर्णीत
77	पैरा–26 (2)	अनिर्णीत
78	पैरा–26 (3)	अनिर्णीत
79	पैरा–26 (4)	अनिर्णीत
80	पैरा–26 (5)	अनिर्णीत
81	पैरा–26 (6)	अनिर्णीत
82	पैरा–26 (7)	अनिर्णीत

(ब) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2001 तक

1	पैरा–3 (क)	अनिर्णीत
2	पैरा–5	अनिर्णीत
3	पैरा–6 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा–6 (घ)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत
8	पैरा–8 (क)	अनिर्णीत
9	पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत
10	पैरा–8 (ग)	अनिर्णीत
11	पैरा–9	अनिर्णीत
12	पैरा–11 (क)	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (ख)	अनिर्णीत
14	पैरा–12 (क)	आंशिक निर्णीत
15	पैरा–13	अनिर्णीत
16	पैरा–14 (क)	अनिर्णीत
17	पैरा–14 (ख)	अनिर्णीत
18	पैरा–14 (ग)	अनिर्णीत

19	पैरा–14 (घ) (1)	अनिर्णीत
20	पैरा–14 (घ) (2)	अनिर्णात
21	पैरा–14 (ड.)	अनिर्णीत
22	पैरा–14 (छ) (2)	अनिर्णीत
23	पैरा–14 (झ) (1)	अनिर्णीत
24	पैरा–14 (ञ)	अनिर्णीत
25	पैरा–14 (त)	अनिर्णीत
26	पैरा–14 (थ)	अनिर्णीत
27	पैरा–14 (द)	अनिर्णीत
28	पैरा–15 (1)	अनिर्णीत
29	पैरा–15 (2)(1)(2)(3)(5)(6)(7)	अनिर्णीत
30	पैरा–16 (2)	अनिर्णीत
31	पैरा–17	आंशिक निर्णीत
32	पैरा–18 (1)	अनिर्णीत
33	पैरा–18 (2)	अनिर्णीत
34	पैरा–18 (3)	अनिर्णीत
35	पैरा–19 (1)	अनिर्णीत
36	पैरा–19 (2)	अनिर्णीत
37	पैरा–20 (1)	अनिर्णीत
38	पैरा–20 (2)	अनिर्णीत

(भ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/01 से 3/07 :–

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–2	अनिर्णीत
3	पैरा–4 (a)	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (b)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (c)(i)से(iv)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (c) (1) (2)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (d)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (e)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (f)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (g)	अनिणीत
11	पैरा–4 (h)	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (i)	अनिर्णीत
13	पैरा–4 (j)	अनिर्णीत

14	पैरा–4 (k)	अनिर्णीत
15	पैरा–4 (l)	अनिर्णीत
16	पैरा–4 (m)	अनिर्णीत
17	पैरा–4 (n)	अनिर्णीत
18	पैरा–4 (o)	अनिर्णीत
19	पैरा–4 (p)	अनिर्णीत
20	पैरा–4 (q)	अनिर्णीत
21	पैरा–4 (r)	अनिर्णीत
22	पैरा–5 (a)	अनिर्णीत
23	पैरा–5 (b)	अनिर्णीत
24	पैरा–5 (c)	अनिर्णीत
25	पैरा–5 (d)	अनिर्णीत
26	पैरा–5 (e) (i)	अनिर्णीत
27	पैरा–5 (e) (ii)	अनिर्णीत
28	पैरा–5 (e) (iii)	अनिर्णीत
29	पैरा–5 (f)	अनिर्णीत
30	पैरा–5 (g)	अनिर्णीत
31	पैरा–5 (h)	अनिर्णीत
32	पैरा–6 (a)	अनिर्णीत
33	पैरा–6 (b)	अनिर्णीत
34	पैरा–6 (c)	अनिर्णीत
35	पैरा–6 (d)	अनिर्णीत
36	पैरा–6 (e)	अनिर्णीत
37	पैरा–6 (f)	अनिर्णीत
38	पैरा–6 (g)	अनिर्णीत
39	पैरा–6 (h)	अनिर्णीत
40	पैरा–6 (i)	अनिर्णीत
41	पैरा–6 (j)	अनिर्णीत
42	पैरा–6 (k)	अनिर्णीत
43	पैरा–6 (l)	अनिर्णीत
44	पैरा–6 (m)	अनिर्णीत
45	पैरा–6 (n)	अनिर्णीत
46	पैरा–6 (o)	अनिर्णीत
47	पैरा–6 (p)	अनिर्णीत
48	पैरा–6 (q)	अनिर्णीत

49	पैरा–6 (r)	अनिर्णीत
50	पैरा–6 (s)	अनिर्णीत
51	पैरा–6 (t)	अनिर्णीत
52	पैरा–6 (u)	अनिर्णीत
53	पैरा–6 (v)	अनिर्णीत
54	पैरा–6 (w)	अनिर्णीत
55	पैरा–6 (x)	अनिर्णीत
56	पैरा–6 (y)	अनिर्णीत
57	पैरा–6 (z)	अनिर्णीत
58	पैरा–6 (A)	अनिर्णीत
59	पैरा–6 (B)	अनिर्णीत
60	पैरा–6 (C) (क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
61	पैरा–6 (D)	अनिर्णीत
62	पैरा–6 (E)	अनिर्णीत
63	पैरा–6 (F)	अनिर्णीत
64	पैरा–6 (G)	अनिर्णीत
65	पैरा–6 (H)	अनिर्णीत
66	पैरा–6 (I)	अनिर्णीत
67	पैरा–6 (J)	अनिर्णीत
68	पैरा–6 (K)	अनिर्णीत
69	पैरा–6 (M)	अनिर्णीत
70	पैरा–6 (N)	अनिर्णीत
71	पैरा–6 (O)	अनिर्णीत
72	पैरा–6 (P)	अनिर्णीत
73	पैरा–6 (Q)	अनिर्णीत
74	पैरा–6 (R)	अनिर्णीत
75	पैरा–6 (S)	अनिर्णीत
76	पैरा–6 (T)	अनिर्णीत
77	पैरा–6 (U)	अनिर्णीत
78	पैरा–6 (V)(क)(ख)(ग)(घ)	अनिर्णीत
79	पैरा–6 (X)	अनिर्णीत
80	पैरा–6 (Y)	अनिर्णीत
81	पैरा–6 (Z)	अनिर्णीत
82	पैरा–6 (a-1)	अनिर्णीत
83	पैरा–6 (a-2)	अनिर्णीत

84	पैरा–6 (b-1)	अनिर्णीत
85	पैरा–6 (c-1)	अनिर्णीत
86	पैरा–6 (d-1)	अनिर्णीत
87	पैरा–6 (e-1)(क से छ)	अनिर्णीत
88	पैरा–6 (f-1)	अनिर्णीत
89	पैरा–6 (g-1)	अनिर्णीत
90	पैरा–6 (h-1)	अनिर्णीत
91	पैरा–6 (i-1)	अनिर्णीत
92	पैरा–6 (j-1)	अनिर्णीत
93	परा–6 (k-1)	अनिर्णीत
94	पैरा–6 (l-1)	अनिर्णीत
95	पैरा–6 (m-1)	अनिर्णीत
96	पैरा–6 (n-1)	अनिर्णीत
97	पैरा–6 (o-1)	अनिर्णीत
98	पैरा–6 (p-1)	अनिर्णीत
99	पैरा–6 (q-1)	अनिर्णीत
100	पैरा–6 (r-1)	अनिर्णीत
101	पैरा–6 (s-1)	अनिर्णीत
102	पैरा–6 (t-1)	अनिर्णीत
103	पैरा–6 (u-1)	अनिर्णीत
104	पैरा–6 (v-1)	अनिर्णीत
105	पैरा–6 (w-1)	अनिर्णीत
106	पैरा–6 (x-1)	अनिर्णीत
107	पैरा–6 (y-1)	अनिर्णीत
108	पैरा–6 (z-1)	अनिर्णीत
109	पैरा–6 (i)	अनिर्णीत
110	पैरा–6 (ii)	अनिर्णीत
111	पैरा–6 (iii)	अनिर्णीत
112	पैरा–7 (a)	अनिर्णीत
113	पैरा–7 (b)	अनिर्णीत
114	पैरा–7 (c)	अनिर्णीत
115	पैरा–7 (d)	अनिर्णीत
116	पैरा–7 (e)	अनिर्णीत
117	पैरा–7 (f)	अनिर्णीत
118	पैरा–7 (g)	अनिर्णीत

119	पैरा–7 (h)	अनिर्णीत
120	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत
121	पैरा–7 (J)	अनिर्णीत
122	पैरा–7 (k)	अनिर्णीत
123	पैरा–7 (l)	अनिर्णीत
124	पैरा–7 (m)	अनिर्णीत
125	पैरा–7 (n)(a)(b)	अनिर्णीत
126	पैरा–7 (o)	अनिर्णीत
127	पैरा–7 (p)	अनिर्णीत
128	पैरा–7 (q)	अनिर्णीत
129	पैरा–8 (a)	अनिर्णीत
130	पैरा–8 (b)	अनिर्णीत
131	पैरा–8 (c)	अनिर्णीत
132	पैरा–8 (d)	अनिर्णीत
133	पैरा–8 (d)(1)(2)(3)(4)(5)	अनिर्णीत
134	पैरा–8 (d) (6)–(1)(2)(3)	अनिर्णीत
135	पैरा–8 (e) (1) (2)	अनिर्णीत
136	पैरा–9 (a)	अनिर्णीत
137	पैरा–9 (b)	अनिर्णीत
138	पैरा–9 (c)	अनिर्णीत
139	पैरा–9 (d)	अनिर्णीत
140	पैरा–9 (e)	अनिर्णीत
141	पैरा–9 (f)	अनिर्णीत
142	पैरा–9 (g)	अनिर्णीत
143	पैरा–9 (h) (i) से (iv)	अनिर्णीत

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

अवधि 4/2007 से 3/2010 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम आगामी अनुच्छेदों में दिये गये है, दिनांक 30.7.2010 से 8.10.2010 तक बलदेव राज शर्मा, सहयक नियन्त्रक, श्री मोहेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया। आय की विस्तृत जांच के लिये माह 11/2007, 6/2008 व 4/2009 तथा व्यय के लिये मास 10/2007, 8/2008 व 10/2009 का चयन किया गया।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

4/2007 से 3/2010 की अवधि के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹77500/–आंका गया। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 के नाम पर प्रेषित करने का अंकेक्षण अधियाचना संख्या 6, दिनांक 8.10.2010 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

अवधि 4/2007 से 3/2010 की सामान्य रोकड़ वही के लेखाओं की वित्तीय स्थिति कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट"क" पर, सोलड वेस्ट की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट "ख" पर, नोराड की प्रारम्भ से 3/2010 की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट "ग" पर व IDSMT की वित्तीय स्थिति परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है। 31.3.2010 को सामान्य रोकड़ वही व सोलड वेस्ट रोकड़ वही का बैंक से समाधान वित्तीय स्थिति के साथ संलग्न है तथा नोराड व IDSMT का बैंक से समाधान का विवरण वित्तीय स्थिति विवरणी पर दर्ज है।

(क) रोकड़ वही का बैंक से गलत समाधान

सामान्य रोकड़ वही का वर्ष 2007–08 व 2008–09 में बैंक से समाधान नहीं किया गया था, दिनांक 31.3.2009 को बैंक खातों में जमा राशि अधिक थी तथा रोकड़ वही में कम थी तथा रोकड़ वही का बैंक के साथ समाधान करने के लिये रोकड़ वही व बैंकों मे जमा राशि के अन्तर को जो कि ₹440740/–दर्शाया गया, रोकड़ वही में जमा कर दिया गया, लेकिन इस जमा की गई राशि का कोई विवरण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। परिणामस्वरूप 31.3.2010 को रोकड़ वही के बैंक से समाधान को भी उचित नहीं माना जा सकता। गत वर्षों से प्रत्येक मास की रोकड़ वही से बैंक समाधान की विवरणी तैयार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये। इसके अतिरिक्त 31.3.2010 को बैंक समाधान विवरणी में ₹12/–की राशि बैंक में अधिक जमा दर्शाई गई, जिसका प्राप्ति स्त्रोत तलाश करके आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाये।

(ख) हस्तगत राशि का औचित्य स्पष्ट न करना

नोराड की दिनांक 31.3.2010 को वित्तीय स्थिति का अन्तिम शेष ₹5823/–था, लेकिन इसके विरूद्ध बैंक में ₹4864/–की राशि जमा थी। शेष ₹959/–की राशि का कोई विवरण नहीं दिया गया, इससें प्रतीत होता है कि यह राशि हस्तगत रखी गई, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा यह राशि सम्बंधित से वसूल करके शीध्र बैंक में जमा करवाई जाए। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शायी जाये।

(ग) रोकड़ वही का बैंक से समाधान न करनाः—

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि किसी भी रोकड़ वही में प्रत्येक मास के अन्त में बैंक से समाधान नहीं दर्शाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा आपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जाये।

(घ) अलग—2 रोकड़ वहियों का अनुरक्षण करनाः—

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सामान्य रोकड़ वही के अतिरिक्त निम्न स्त्रोतों की अलग रोकड़ वहियों का अनुरक्षण किया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इन रोकड़ वहियों को तुरन्त बन्द किया जाये तथा इनमे जमा राशि को सामान्य रोकड़ वही में हस्तांतरित करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

1 नोराड

2 आई0डी0एस0एम0टी0

3 सोलड वेस्ट

(ड.) विभिन्न बैंक खातों का संचालन नहीं करनाः—

अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बैंक खातों की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद की वित्तीय स्थिति में निम्नलिखित बैंकों के खातों की कई वर्षों से दर्ज अन्तशेष की राशि को दर्शाया जा रहा है, जबकि इन खातों में गत कई वर्षों से न तो कोई लेन—देन हुआ है और न ही नगर परिषद द्वारा इन खातों में सम्बंधित बैंक स ब्याज की प्रविष्टियों को दर्ज करवाने के बाद रोकड़ वही में दर्ज किया गया। अतः ऐसे सभी खातों को चालू हालत में रखने का उद्देश्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा बैंक खातों को तुरन्त बन्द किया जाये अनुपालना की पड़ताल आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये।

क्र0सं0	**बैंक का नाम, सं0**	**राशि**	**जब से लेन देन नहीं हुआ**
1	31.3.10 को P.L.A खाते में राशि	₹3158	
2	31.3.10 को KCCB-1621में राशि	₹7518	14.6.06
3	31.3.10 को LIBI-938 में राशि	₹8777	9.11.05

(च) निवेशः—

अवधि 31 मार्च 2010 तक नगर परिषद द्वारा सामान्य निधि से कोई भी निवेश नहीं किया गया था।

(छ) ऋण

अवधि 31 मार्च 2010 तक नगर परिषद द्वारा किसी प्रकार का ऋण नहीं लिया गया था।

5 **अनुदानः–**

अंकेक्षण अवधि में प्राप्त व उपयोग किये गये अनुदानों का विवरण कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट संख्या "ड" "च" "छ" व "ज" पर दिया गया है। अनुदानों की पड़ताल करने पर इनमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

(क) उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में स्पष्ट न करना

परिशिष्ट संख्या "ड." पर दर्शाई गई अनुदान राशियों के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रति अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसके अभाव में इनके उपयोगिता प्रमाण पत्रों की पुष्टि नहीं हों सकी जो कि अब तलाश करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें।

(ख) उपयोगिता प्रमाण पत्र अग्रेषित न करनाः–

परिशिष्ट "च" पर क्रम संख्या 1,2,3,6,7,9,10,11,15 से 18 व परिशिष्ट संख्या "छ" के 2008.09 के क्रम संख्या 1 से 3 व 2009.10 के क्रम संख्या 1व 2 व पृष्ठ संख्या 3 के क्रम संख्या 1 पर दर्शाए अनुदानों का उपयोग किया दर्शाया गया, लेकिन इनके उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक सम्बंधित विभाग को नहीं भेजे गये, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा आपेक्षित कार्यवाही अब करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शायी जाये।

(ग) अनुदानों का उपयोग न करनाः–

परिशिष्ट संख्या "च" पर क्रम संख्या 4, 13 व 14 व परिशिष्ट संख्या "घ" के पृष्ठ संख्या 2 पर वर्ष 2009–10 के 1–A व परिशिष्ट संख्या "ज" द्वारा प्राप्त अनुदान राशियों का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अनुदानों की शर्तों के अनुसार उपयोग करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

6 **आयः–**

(1) ₹6236620/–की राशि वसूली हेतू शेष

अंकेक्षण को कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार निम्न विवरणानुसार ₹6236620/–की राशि गृहकर दुकानों व भवनों आदि के किराये

के रूप में दिनांक 31.3.2010 को वसूली हेतू शेष थी। नगर परिषद की आय के अपने स्त्रोत पहले ही बहुत सीमित है तथा जो हैं उनकी वसूली भी सही ढंग से नहीं हो रही है जो कि बहुत ही चिन्ताजनक है। परिणामस्वरूप नगर परिषद के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अगर अपनी आय के स्त्रोतों की तुलना वेतन व्यय से की जाये तो अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई सूचना अनुसार वर्ष 2008.09 में अपने स्त्रोतों की आय ₹19954735/–व 2009.10 की आय ₹20764538/–थी, जबकि इस अवधि में वेतन पर व्यय कमशः ₹20246986/–व ₹23708177/–था। अतः वर्ष 2008.09 में वेतन पर व्यय ₹292251/–व ₹2943639/–उस वर्ष की अपने स्त्रोतों की आय से बढ़ गया था जो कि चूंगी के विरूद्ध प्राप्त राज्य वित्तीय आयोग के अनुदानों से किया गया था। यदि सरकारी अनुदान बन्द हो जाता है तो नगर परिषद को अपने स्त्रोतों से वेतन का भुगतान करना सम्भव नहीं होगा। यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि नगर परिषद प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किये जाये वह अपने आय के साधनों को बढ़ाने के प्रयत्न करें, ताकि इसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सके, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो तथा बकाया राशि की वसूली हेतू ठोस पग उठाये जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

1	गृह कार्य	3586762
2	दुकानों व भवनों का किराया	2119714
3	महिला छात्रावास (15800+6400)	22200
4	बायोमैडिकल वेस्ट	179504
5	बूथ का किराया	328440
		6236620

(2) गृहकर का निर्धारण नियमानुसार न करना

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि गृह कर का निर्धारण निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या VLB-HC (912/91) दिनांक 19.2.1997 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार न करके मनमाने ढंग से किया गया, जबकि उपरोक्त पत्र के अनुसार self occuttried House भवन का निर्धारण/अधिरोपण वार्षिक मूल्य के अनुसार व किराये पर दिये गये मकान/भवन का वास्तविक किराये के आधार पर करना था। उपरोक्त पत्र के अन्तर्गत जारी निर्देशों/स्पष्टीकरण अनुसार गृहकर को अधिरोपण/निर्धारण आपेक्षित विधि अनुसार न करने के कारण नगर परिषद को जो लाखों रूपये की आय जो गृह कर से प्राप्त हो सकती थी, से वंचित होना पड़ा, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा निदेशक के उपरोक्त पत्र के स्पष्टीकरण में दर्शाई विधि द्वारा गृहकर का निर्धारण/अधिरोपित किया जाए ताकि नगर परिषद की आय में वृद्धि हो सके तथा विकास कार्य सुचारू रूप से कार्यन्वित किये जा सके। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2009.10 की गृहकर की मांग केवल ₹1182704/–थी, जो कि यहां के वाणिज्य संस्थानों के मद्देनजर बहुत ही कम है।

(3) कूड़े कचरे से तैयार खाद के उत्पादन में कमीः–

नगर परिषद कुल्लू द्वारा पिरडी स्थित चलाये जा रहे कूड़े कचरे संयत्र के अभिलेख की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि संयत्र में गत वर्षों से खाद का उत्पादन नीचे दी गई तालिका अनुसार रहा।

वर्ष	**खाद तैयार की गई कि0ग्राम**
2004–05	47233
2005–06	35954
2006–07	25520
2007–08	27130
2008–09	23386
2009–10	15900

उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये खाद उत्पादन के आंकड़ों के अध्ययन से स्वतः स्पष्ट है कि कूड़ा करकट तैयार की गई खाद में वर्ष 2004–05 से 2009–10 तक निरन्तर भारी गिरावट दर्ज की गई, जो कि चिन्ता का विषय है। गत कई वर्षों से नगर परिषद की जनसंख्या एवं कूड़े कचरे में वृद्धि हुई है, जबकि कूड़े कचरे से तैयार खाद में गिरावट आई है, जिस कारण नगर परिषद को लगातार हानि होती रही। अतः गिरावट के कारणों की छानबीन की जाये तथा खाद के उत्पादन में आई गिरावट के कारण हुई हानि के लिये जिम्मेवारी तय करने के उपरान्त दोषी से वसूली की जाये। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

(4) दशहरा मेले के शेयर के विरूद्ध विवरण उपलब्ध न करवानाः–

दशहरा उत्सव का आयोजन नगर परिषद व उपायुक्त कुल्लू द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। अंकेक्षण को मौखिक तौर पर बताया गया कि ढालपुर मैदान की सीमा के भीतर प्लांटों की निलामी व तहबाजारी की वसूली उपायुक्त कार्यालय द्वारा की जाती है जिसमें से 37 प्रतिशत भाग नगर परिषद को दिया जाता है, लेकिन इस सम्बंध में नगर परिषद का कोई प्रस्ताव अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा न ही ऐसा कोई निर्णय दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि में उपायुक्त कार्यालय से उपरोक्त शेयर के विरूद्ध निम्न राशियां प्राप्त हुई, लेकिन इन वर्षों में कुल कितनी राशि की वसूली हूई तथा क्या कुल वसूली के विरूद्ध तथाकथित देय शेयर पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया था, का कोई विवरण स्पष्ट नहीं किया गया। परिणामस्वरूप

कुल देय शेयर की पुष्टि नहीं हो सकी। सम्बंधित कार्यालय से प्रत्येक मेले की वसूली के विरूद्ध विवरण प्राप्त करके अगर शेयर की कम राशि प्राप्त हुई हो तो इसकी वसूली की जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

वर्ष	**प्राप्ति**
2007–08	4007206
2008–09	350000
2009–10	4316717

(5) वाहनों की पार्किंग का ठेकेदारों से वसूली का अभिलेख नहीं रखनाः–

अंकेक्षण के दौरान वर्ष 2007–08 से 2009–10 अवधि की पार्किंग स्थानों के ठेकेदारों को आबंटन से प्राप्त आय की जांच पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न पार्किंग से प्राप्त आय के सम्बंध में उचित एवं व्यवस्थित अभिलेख तैयार नहीं किया गया। जिसके कारण अंकेक्षणाधीन अवधि में पार्किंग स्थानों की निलामी से प्राप्त आय का सही सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः विभिन्न पांर्किग की जगहों की नीलामी से प्राप्त आय का उचित अभिलेख रखा जाये तथा निम्नलिखित पार्किंग स्थलों की शेष बकाया राशि की छानबीन करने के उपरान्त अनुपालना की सत्यापना आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

पार्किग नाम	**ठेकेदार का नाम**	**अवधि**	**निलामी राशि**		**रसीद सं0 प्राप्त राशि**	**बकाया राशि**
अखारा बाजार	श्री दान सिंह	2008–09	118180	4/025 5.8.08	50000	
				40/052 29.1.09	25000	
				31/10 1.7.08	25000	18180
अस्पताल पार्किंग	श्री अरूण कुमार	2007–09	8200	–	–	8200
	श्री दान सिंह	2009–10	15500	29/181 25.7.09	10000	5500
ठालपुर पार्किंग	श्री दान सिंह	2008–09	51273	43/994 14.9.08	15700	
				23/915 28.2.08	2465	33108
ठालपुर पार्किंग	श्री दीप कुमार	2009–10	48000	21/109 29.1.09	10000	
				33/133 18.4.09	30000	
				2/236 4.1.10	6989	1011
					कुल राशि	**65999/–**

(6) पार्किंग की निःशुल्क सुविधा प्रदान करना

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद द्वारा 10 पार्किंग स्थलों का निर्माण किया गया, जिसमें से 3 पार्किंग स्थलों पर शुल्क अधिरोपित किया गया है, जबकि 7 पार्किंग स्थल जिनका विवरण निम्न प्रकार से है, पर कोई पार्किंग शुल्क आपेंक्षित नहीं किया गया। अंकेक्षण को मौखिक तौर पर स्पष्ट किया गया कि यह सुविधा उस स्थल के निवासियों के लिये निःशुल्क प्रदान की गई है जो सर्वथा अनुचित है। अगर इनमें पार्किंग शुल्क मासिक आधार पर अधिरोपित कर दिया जाये तो, इससे एक तो वहां वसूली के लिये कर्मचारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा नगर परिषद जो कि पहले ही कमजोर वित्तीय स्थिति से जूझ रही है, की आय में वृद्धि होगी। अतः आवश्यक कार्यवाही अब अमल में लाई जाये।

क्रम संख्या	पार्किंग नाम	वाहन क्षमता	निर्माण वर्ष	निर्माण शुल्क
1	रामशिला	10	2002	130056
2	लोअर ढालपुर नजदीक आदित्य अतिथि गृह	15	2002	117481
3	सरवरी आशाक्लब के पीछे	15	2004	94493
4	राम सामुदायिक भवन लोअर ढालपुर	15	2004	165138
5	गांधी नगर नजदीक चमारड़ी नाला	10	2005	115423
6	गांधी नगर नजदीक सैसन हाऊस	10	2002	225801
7	नजदीक शीतला माता मन्दिर	20		–

(7) ₹2120/–की राशि का जमा न करवाने के फलस्वरूप दुरूपयोग

निम्न रसीदों के द्वारा प्राप्त राशियां या तो बिल्कुल ही जमा नहीं करवाई गई अथवा कम जमा करवाई गई, परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्शाई गई राशियां कम जमा करवाई गई तथा इनका दुरूपयोग किया गया। यह राशियां अंकेक्षण द्वारा स्पष्ट करने पर G.8 संख्या 27/368 दिनांक 8.10.2010 व 28/368 दिनांक 8.10.2010 द्वारा जमा करवा दी गई थी। इसके रोकड़ वही में इन्द्राज आगामी अंकेक्षण में दर्शाये जाए तथा अन्तिरम पड़ताल को सुदृढ़ किया जाये ताकि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति न हो।

1	तिथि	आर–4 रसीद संख्या	कुल प्राप्त राशि	जमा करवाई गई राशि	कम जमा करवाई राशि
तहतजारी	3.11.2007	72 से 90 / 673	600	570	30
	3.11.2007	73 से 105 / 655	1170	1140	30
	9.11.2007	129 से 166 / 673	4510	4500	10
	29.6.2008	89 से 116 / 800	1580	1530	50
	1.4.2009	27 से 63 / 947	2240	2140	100
	15.4.2009	197 से 200 / 959+ 1 से 47 / 900	3440	3400	40
	20.4.2009	27 से 80 / 961	4000	4010	10
	21.4.2009	72 से 116 / 955	2480	2580	100
पीपल जातर मेला	30.4.2009	13–15 / 18	1860	1760	100
विश्राम गृह शुल्क	9.7.2007	जी–8 36/669	250	–	250
विश्राम गृह शुल्क	13.8.2007	37/669	200	–	200
विश्राम गृह शुल्क	24.9.2007	30/669	100	–	100
विश्राम गृह शुल्क	27.11.2007	40/669	400	–	400
विश्राम गृह शुल्क	8.3.2009	2/40	100	–	100
विश्राम गृह शुल्क	25.3.2009	4/40	500	–	500
विश्राम गृह शुल्क	19.3.2009	3/40	100	–	100
					2120

(8) शो टैक्स की वसूली न करने के बारेः–

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि में शो टैक्स की कोई वसूली नहीं की गई, जबकि नगर परिषद सीमा के अन्दर सिनेमा घर तथा विडियो हॉल चल रहे हैं। इसका सर्वेक्षण करके अंकेक्षण अवधि में देय शो टैक्स की विभागीय गणना करके सम्बंधित से इसकी वसूली की जाये। अनुपालना आगामी अंकक्षण में दर्शाई जाये।

(9) विश्राम गृह के किराये की कम वसूली

विश्राम गृह आगन्तुक पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में आगन्तुक से या तो किराया बिल्कुल भी वसूल नहीं किया गया या कम वसूल किया गया। परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्शाई राशि कम वसूल की गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये। अन्यथा कम वसूल की गई राशि को सम्बंधित से वसूल करके अनुपालना अगले अंकेक्षण में दिखाई जाये।

रजिस्टर क्र0सं0	सेट नं0	आगमन समय	प्रस्थान समय	नाम	उद्देश्य	वसूली योग्य राशि	राशि जो वसूल की गई	जी–8 न0	दिनांक जी–8	कम वसूल राशि	टिप्पण
44	3	10.9.08 6.PM	12.9.2008 10.PM	राम सिंह सदस्य न0प0	गैर सरकारी	400	–	–	–	–	–
48	2	6.10.08 1. PM	7.10.2008 10.AM	सतेनद्र शर्मा C/O प्रधान न0प0 देवेन्द्र पाल C/O	गैर सरकारी	200	–	–	–	–	–
50	2	19.2.2009 6.PM	20.2.2009 10.AM	राम सिंह सदस्य न0प0	गैर सरकारी	200	–	–	–	–	–
59	1–2	5.6.2009 7.PM	9.6.2009 8.AM	पवन मेहता C/O श्री राम सिंह	गैर सरकारी	1600	–	–	–	–	–
61	2	5.6.2009 7.PM	7.6.2009 8.AM	राम सिंह	गैर सरकारी	400	–	–	–	–	–
70	2	28.8.09	29.8.2009	राम सिंह	गैर	200	–	–	–	–	–

		5.PM	8.AM		सरकारी						
73	3	27.5.10 7.PM	28.5.2010 9.AM	रविनद्र कुमार C/O मोहिन्द्र कुमार कार्यकारी अधिकारी न0प0 कुललू	गैर सरकारी	200	–	–	–	–	–
					योग	**3200**					

रजिस्टर क्र0सं0	सेट नं0	आगमन समय	प्रस्थान समय	नाम	उद्देश्य	वसूली योग्य राशि	राशि जो वसूल की गई	जी–8 न0	दिनांक जी–8	कम वसूल राशि	टिप्पणी
42	2	23.6.08 9.PM	25.6.2008 8.AM	सुनील कटोच	गैर सरकारी	600 (200 per Day)	400	47/669	25.6.08	200	over writing Date 25.6.08
55	3	11.5.09	13.5.09	राकेश कुमार	गैर सरकारी	150 (50 p. Day)	100	6/40	13.5.09	50	आगमन व प्रस्थान का समय नहीं लिखा
56	3	18.5.09	20.5.09	सुरेन्द्र ठाकुर	सरकारी	100 (50 per Day)	50	7/40	20.5.09	50	आगमन व प्रस्थान का समय नहीं लिखा
65	2	10.6.09 4.PM	12.6.2009 4.AM	हेम लता	गैर सरकारी	400 (200 per Day)	200	14/40	12.6.09	200	over writing Date 10.6.09
									योग	**500**	

(10) चुनाव कार्यालय भवन के किराये की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार नगर परिषद का ढालपुर में एक भवन चुनाव कार्यालय के पास है। अभिलेख की जांच पर पाया गया कि दिनांक 2.4.2004 से उपरोक्त भवन उपरोक्त कार्यालय हेतू उपयोग किया जा रहा है। इससे पूर्व इस भवन का धरातल जिला परिषद के पास था जिनसे ₹3725/–प्रति मास की दर से किराया लिया गया था, जबकि दिनांक 2.4.2004 से उपरोक्त भवन की दोनों मंजिले चुनाव कार्यालय को दे दी गई, लेकिन इसके लिये कोई किराया निर्धारित नहीं किया गया। बाद में नगर परिषद द्वारा ₹7500/–प्रति मास की दर से मांग की गई, लेकिन जिला चुनाव अधिकारी द्वारा पत्र संख्या एल0एम0 कुल्लू (1) 1/86 दिनांक 28.11.2006 द्वारा स्पष्ट किया गया कि यह कार्यालय उपायुक्त कार्यालय का अभिन्न अंग है, जिसमें किराया देने व एग्रीमेन्ट का कोई प्रावधान नहीं है। नगर परिषद को चाहिये था कि इस भवन को उपरोक्त विभाग को Handover करने से पूर्व नियमानुसार किराया निर्धारित करती तथा तदानुसार किराया वसूल करती। उपरोक्त प्रक्रिया के बिना इस भवन को Handover करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये। अगर नगर परिषद द्वारा उपरोक्त किराये की मॉग को भी उचित मान लिया जाये तो दिनांक 31.3.2010 तक ₹7500/–प्रति मास की दर से ₹540000/–की राशि देय बनती थी। इस प्रकरण को पुनः सम्बंधित कार्य से उठाया जाये अन्यथा इस मामले को निदेशक शहरी विकास से उठाया जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शायी जाये।

(11) मोबाईल टावरों की स्थापना एंव फीस वसूली का अभिलेख तैयार न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा अवासीय एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भवनों में मोबाईल टॉवर स्थापित किये गये ह, जिन के स्थापना तथा वार्षिक नवीनीकरण का उचित अभिलेख तैयार नहीं किया गया। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या–DIT-Dev (IT) 2005 (MSC) दिनांक 20.8.06 द्वारा निर्धारित टॉवर स्थापना फीस तथा वार्षिक नवीनीकरण का प्रारम्भ से ब्यौरा तैयार करके वसूली गई राशि की आगामी अंकेक्षण के दौरान पड़ताल करवाई जाये।

(12) अखबारों की रद्दी की निलामी बारेः–

अंकेक्षण के दौरान समाचार पत्रों के अभिलेख की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि नगर परिषद पुस्तकालय ढालपुर में विभिन्न प्रकार के समाचार पत्रों को पढ़ने के लिये रखा गया है। इन समाचार पत्रों की गत वर्षों से रद्दी की निलामी नहीं की गई जिसे अब निलाम करके प्राप्त राशि को नगर परिषद फण्ड में जमा किया जाये तथा अनुपालना से इस आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7 Leave not due को अर्धवेतन अवकाश में समायोजित न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों की सेवा पत्रिकाओं की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि श्रीमति बिमला देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश को निम्नलिखित अवधि

की अदेय अवकाश (Leave Not Due) स्वीकृत की गई थी जिसे सी0सी0एस0लीव नियमावली 1972 के नियम 31 (1)क अनतर्गत आगामी वर्षों में कर्मचारी को देय Half Pay Leave से समायोजित नहीं किया गया। अतः उपरोक्त कर्मचारी की अवकाश प्रविष्टियों की छानबीन की जाये तथा Leave Not Due की अवधि को H.P.L की अवधि से समायोजन किया जाये। अनुपालना की जॉच आगामी अंकेक्षण में बताई जाये।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	अवकाश देय नहीं की अवधि	कुल दिन
(i)	श्रीमति बिमला देवी	12.8.07 से 4.10.07	55
		13.2.08 से 29.2.08	17
		1.3.08 से 31.3.08	31
		1.4.08 से 17.4.08	7

(ii) उपरोक्त कर्मचारी अवधि 1.4.08 से 17.4.08 अवकाश पर थी, जबकि वाषिक वेतन वृद्धि का लाभ 1.4.08 से दिया गया था, जबकि यह 18.4.2008 से देय था। जिस कि विभागीय गणाना करने के उपरान्त वसूली की जाये तथा अनुपालना की जॉच आगामी अंकेक्षण के दौरान बताई जाये।

(2) असाधारण अवकाश के परिणामस्वरूप अर्जित अवकाश में 1/10 भाग की कटोती न करना

अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों की सेवा पत्रिकाओं में अवकाश प्रविष्टियों की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि परिशिष्ट"झ" में दर्शाये गये कर्मचारियों द्वारा व्यतीत किये गये असाधारण अवकाश की अवधि का 1/10 भाग आगामी वर्ष में देय अर्जित अवकाश की संख्या से कम नहीं किया गया, जबकि लीव रूल 1972 के नियम 27 (3) के अनुसार अवकाश में कटौती की जानी आपेक्षित थी। अतः यथाशीघ्र कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना की जॉच आगामी अंकेक्षण में सत्यापित करवाई जाये।

(3) शपथ पत्र/चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म तिथि दर्ज करना

अंकेक्षण के दौरान नगर परिषद में कार्यरत दैनिक भौगी कर्मचारियों के स्थाईकरण से सम्बंधित अभिलेख की जॉच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों के मामलों में जन्म तिथि के वैध प्रमाण पत्र व्यक्तिगत फाईल में संलग्न नहीं थे। उक्त कर्मचारियों की सेवा पंजिका में जन्म तिथि की प्रविष्टि चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार दर्ज की गई, जबकि ऐसे मामलों में मैडिकल बोर्ड द्वारा आयु प्रमाण का सही सत्यापन करवाया जाना आपेक्षित था। अतः ऐसे सभी मामलों की छानबीन की जाये तथा सही जन्म तिथि को सेवा पंजिका में दर्ज किया जाये। अनुपालना की पड़ताल आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

क्र0सं0	नाम	जन्म तिथि
1	रजनी देवी	13.1.1974
2	लजा देवी	16.11.1969
3	भगत राम	28.1.1949
4	बाल कृष्ण	22.5.1957
5	गगी देवी	25.6.1960
6	परम जीत	5.5.1962
7	सुरजीत	20.10.1965
8	गुलाब चन्द	8.5.1967
9	तोलू राम	25.3.1962
10	भगत राम	25.9.1972
11	शयामी देवी	1.1.1969

(4) ₹29360/–के चिकित्सा भत्ते का अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान वेतन बिलों की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि जो कर्मचारी पति–पत्नी दोनो नगर परिषद कुल्लू में कार्यरत्त थे उन्हें स्थाई चिकित्सा भत्ता दिया गया था, जबकि नियमानुसार दोनों में से एक कर्मचारी को ही चिकित्सा भत्ता दिया जाना आपेक्षित था। अतः निम्न विवरणानुसार दर्शाये गये कर्मचारियों द्वारा अनाधिकृत आधारित स्थाई चिकित्सा भत्ते की गणना करने के उपरान्त अवधि 1.4.07 से 30.9.10 तक की कुल राशि ₹29360/–की राशि का अधिक भुगतान हुआ जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस राशि की शीध्र वसूली की जाये। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम	अवधि		कुल राशि
1	चरण दास	1.4.07 से 31.10.07 1.11.07 से 30.6.10	7x40=280 32x100=3200	3480
2	शिव कुमार	1.4.07 से 31.10.07 1.11.07 से 30.9.10	7x40=280 35x100=3500	3780
3	श्वेम चन्द	–यथोपरि–	–	3780
4	मोहन लाल	–यथोपरि–	–	3780
5	शकुन्तला देवी	not paid	-	3780
6	ओम प्रकाश	1.4.07 से 30.9.10	–	3780
7	राम लुभाया	1.4.07 से 30.9.10	–	3780
8	मोहर सिंह	1.4.07 से 30.9.10	–	3780

9	दोलत राम	1.2.08 से 30.9.10	—	3200
				29360

(5) दैनिक भोगी कर्मचारी को सेवानिवृती की आयु के बाद स्थाई करना:—

अंकेक्षण के दौरान दैनिक भोगी कर्मचारियों के नियमतीकरण से सम्बंधित अभिलेख की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि श्री भगत राम बेलदार जिसकी जन्म तिथि 28.1. 1949 थी, को सेवानिवृती की आयु 58 वर्ष पूरी करने के बाद दिनांक 5.9.2007 को निदेशक, शहरी विकास पत्र सं0 UDH (B) (1)-37199-06 द्वारा नियमित किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं0 फिन (LA) (3)/08 दिनांक 10.5.2001 के अनुसार उक्त कर्मचारी को 31.1.2007 को 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत हो जाना चाहिए था। अतः श्री भगत राम बेलदार को 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नियमित करने तथा 31.5.2008 तक सेवा में रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा उपरोक्त कर्मचारी को नीचे दिये गये विवरणानुसार वेतन एवं भत्तों के अनाधिकृत भुगतान की हानि के लिये दायित्व निर्धारित किया जाये तथा दोषी से वसूली की जाये अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अवधि	कुल वेतन
6.9.07 से 30.9.07	4913
10/07	5895
11/07	6131
D.A	1048
D.A	433
D.A	1616
12/07 से 2/08 @ 6131	18393
3/08 से 5/08 @ 6408	19224
कुल योग	**57653**

8 व्ययः—

(1) अनुदान राशियों का अन्य मदों हेतू उपयोग

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार जिसका विवरण निम्न प्रकार से था, दिनांक 31.3.2010 को ₹7038661/—की राशि विभिन्न अनुदानों के रूप में उपयोग हेतू शेष थी, जबकि 31.3.2010 को रोकड़ वही में 5167379/—की राशि शेष थी। अतः

₹1871282/–(7038661–5167379)की अनुदान राशि अन्य मदों पर व्यय की गई प्रतीत होती है। इससे ऐसा भी प्रतीत होता है कि नगर परिषद द्वारा अपने नियमित व्यय वेतन आदि के भुगतान के लिये विकास कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों को उपयोग किया जा रहा है। परिणामस्वरूप विकास कार्यों के निष्पादन में विलम्ब होना स्वभाविक है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये। यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही हेतू भी लाया जाता है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन परिशिष्ट संख्या व पृष्ठ संख्या	अनुपयोग राशि
च 1	40000
च 2	100000
च 2	200000
छ 2	903143
ज	5795518
	7038661

(2) ₹31876294/– की बिजली के बिलों की भुगतान हेतू देय राशिः–

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के पत्र संख्या H.PSEB/KESD/CS 20/2010 11–824.825 दिनांक 20.8.2010 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कुल्लू को ₹31876294/–की स्ट्रीट लाईट के बिलों की राशि के भुगतान के बारे में अनुरोध किया गया कि इस outstanding राशि का कब भुगतान किया जाएगा, के बारे में सूचित किया जाये। इसका मुख्य कारण कर्मचारियों के वेतन का बोझ तथा सीमित आय के साधन व इनकी कम वसूली दर है। नगर परिषद प्रशासन को परामर्श दिया जाता ह कि नियमानुसार अपने आय के स्त्रोतों को बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि वर्तमान कमजोर वित्तीय स्थिति से उभर सके। यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यान में भी लाया जाता है।

(3) हिमाचल प्रदेश परिषद के कर्मचारियों को मानदेय का अनियमित भुगतानः–

निम्न राशियॉ मानदेय के रूप में भुगतान की गई। इनमें प्रतयेक के आगे दर्शाई राशि विद्युत परिषद के कर्मचारियों को मानदेय के रूप में भुगतान की गई। परिषद निधि में से उपरोक्त कर्मचारियों के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसे सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये अथवा इसकी सम्बंधित से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

मास	वा0सं0	राशि	जिसको भुगतान हुआ	भुगतान राशि	सूची क्रमांक
8/08	82	99700	रिशी राज	300	122

			केदर सिंह	300	123
10/07	96	222096	रिशीराज	700	28
			केदर सिंह	700	29
10/09	92 B	16800	रिशी राज	700	25
			केदर सिंह	700	24

(4) अनुमोदित संविदा की अपेक्षा अन्य से क्रय

निम्न राशियां चूने के क्रय पर व्यय की गई तथा यह प्रत्येक के आगे दर्शाई फर्मों से क्रय किया गया। संविदाओं निविदाओं के अवलोकन पर पाया गया कि मै0 विशाल सेल्ज कार्पोरेशन कुल्लू की संविदायें न्यूनतम दर के कारण अनुमोदित की गई थी। अतः चूना इसी फर्म से क्रय किया जाना आपेक्षित था, लेकिन इन प्रकरणों में उपरोक्त फर्म की बजाये निम्न फर्मों से क्रय किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अन्तर की वसूली उचित स्त्रोत से की जाये।

मास	**वाऊचर संख्या**	**राशि**	**चूने का क्रय**	**जिससे क्रय किया गया**
10/2009	67 व 68	21350	18750	मै0 रत्न चन्द
10/2009	61	17500	12500	मै0 कपिल हार्डवेयर स्टोर

(5) संविदा नियमों की अनुपालना न करना

मास 10/2009 के वाऊचर संख्या 108 द्वारा ₹12150/–की राशि मै0 शर्मा इलैक्ट्रोकल कम्पनी को जी0आई0 नैट आदि के क्रय पर भुगतान की गई। इस क्रय के विरूद्ध आमन्त्रित संविदाओं के अवलोकन पर पाया गया कि संविदायें केवल एक कर्मचारी द्वारा खोली गई थी, जबकि नियमानुसार संविदायें खोलने के लिये कम से कम तीन सदस्यों का होना आपेक्षित था तथा इसका प्रमाण पत्र सम्बंधित संविदा पर दर्ज करना आपेक्षित होता था। उपरोक्त नियमों की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(6) निम्नलिखित राशियां सफाई कार्य के ठेके के फलस्वरूप भुगतान की गई, जिसमें नीचे दी गई त्रुटियॉ पाई गईः–

क्र0सं0	**माप**	**वा0सं0**	**राशि**	**ठकेदार द्वारा तैनात कर्मचारी**	**ठेकेदार का नाम**	**जिस वार्ड में कार्य किया**	**अतिरिक्त नियमित**	**सफाई कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी**

1	8/2008	63	57000	18	प्रवीन	1,2,3	43	10
2	8/2008	64	10000		चिरंजी लाल (रविवार सफाई कार्य)	–		
3	10/2009	54	119000	21	चिरंजी लाल	1,2,3 व रविार सफाई कार्य	46	7
4	10/2007	63	57000	18	प्रवीन	1,2,3	36	18
5	10/2007	65	10000					

(क) नियमित व दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों की अधिक संख्या होने के बावजूद सफाई कार्य ठेके पर देना

अभिलेख की जॉच करने पर पाया गया कि प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्शाये गये कर्मचारी नियमित व दैनिक वेतन पर अतिरिक्त से तैनात थे। इतनी अधिक संख्या में नियमित व दैनिक वेतन पर सफाई कर्मचारी तैनात होने के बावजूद सफाई कार्य ठेके पर देने का औचित्य स्पष्ट किया जाये, जबकि नगर परिषद के कार्यक्षेत्र में कोई बढ़ौतरी नहीं हुई।

(ख) रविवार के सफाई कार्य के लिए अलग ठेके का आवेदन

क्रम संख्या 2 पर ₹10000/–की राशि रविवार सफाई कार्य के लिये अतिरिक्त से भुगतान की गई, जबकि नगर परिषद को चाहिए था कि नियमित व दैनिक वेतन भोगियों की कार्य अवधि इस तरीके से समायोजन करती, ताकि रविवार का सफाई कार्य भी इनसे करवाया जा सकता तथा रविवार के बदले इन्हें अन्य दिन अवकाश की प्रतिपूर्ति कर दी जाती, क्योंकि रविवार को अधिकत्तर बाजार बन्द होते हैं तथा तदानुसार सफाई कार्यक्षेत्र भी कम हो जाता है। अतः रविवार के दिन सफाई ठेका अलग से देने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ग) मंहगी दर पर ठेके का आबंटन

क्रम संख्या 3 पर ठेका राशि क्रम संख्या 1 व 2 पर दर्शाये गये सफाई कार्य के लिये बढ़ कर ₹119000/–प्रति मास हो गई, परिणामस्वरूप ₹52000/– (119000–(57000+10000)) मासिक बढ़ौतरी हुई। अगर दैनिक वेतन दरों में बढ़ौतरी को भी मान लिया जाये तो दिनांक 1.1.2000 से सरकार द्वारा दैनिक वेतन भोगी मजदूरों की दैनिक मजदूरी ₹75/–प्रति दिन

से बढ़ा कर ₹100/–प्रतिदिन की गई थी। परिणामस्वरूव 33.33 प्रतिशत की वृद्धि की गई। अगर इस वृद्धि अनुसार ठेकेदार से गत वर्ष की तुलना में ठेका राशि नैगो शियर की जाती तो ₹67000/–पर 33.33 प्रतिशत की बढ़ौतरी करके ₹89400/– के लगभग निर्धारित की जानी थी, लेकिन नगर परिषद द्वारा बिना आंकलन के ही ₹119000/–प्रति मास की दर से 1.9.2008 से 31.8.2010 ठेका आंबटित कर दिया गया, परिणामस्वरूप ₹29600/–प्रतिमास (119000–89400) की दर से अधिक राशि व्यय की गई, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक व्यय की विभागीय गणना करके सम्बंधित से इसकी वसूली की जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(7) निम्नलिखित राशियां श्री सुदर्शन कुमार को दशहरा मेला में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था हेतू अग्रिम भुगतान की गई, जिसमें नीचे दी गई त्रुटियां पाई गईः–

तिथि	**वा0सं0**	**राशि**	**मेला वर्ष**	**ठेकेदार को भुगतान**
5.10.2007	67	100000	2007	
24.10.2007	84	200000	2007	398150
5.11.2007	58	100000	2007	
24.9.2009	68	50000	2009	
29.9.2009	81	50000	2009	348320
3.10.2009	58	200000	2009	
7.10.2009	70	100000	2009	

कुटेशन नोटिस प्रस्तुत न करना

(क) वर्ष 2007 में सफाई कार्य के लिये आमन्त्रित कुटेशनों का कुटेशन नोटिस उपलब्ध नही करवाया गया, परिणामस्वरूप इनके आमन्त्रण के माध्यम की पुष्टि नहीं हो सकी। इन कुटेशानों के माध्यम का विवरण स्पष्ट किया जाये।

(ख) बिना सत्यापन के भुगतान

यह कार्य प्रत्येक वर्ष श्री मोहन लाल को न्यूनतम दर पर आंबटित किया जाता रहा, जिसके लिये प्रतिदिन की दर से प्रत्येक सफाई कर्मचारी को निम्न विवरण अनुसार दैनिक वेतन दिया जाना था तथा वर्ष 2007 में 70 सफाई कर्मचारी व एक जमावार ठेकेदार द्वारा तैनात करने थे। अंकेक्षण में प्रस्तुत समायोजन बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि ठेकेदार द्वारा बिल में सफाई कर्मचारियों की संख्या अनुसार बिल तैयार किया गया, लेकिन नगर परिषद प्रशासन द्वारा ठेकदार से न तो सफाई कर्मचारियों का विवरण मांगा गया तथा न ही इस सम्बंध में कोई सत्यापन किया गया कि ठेकेदार द्वारा वास्तव में मेला अवधि में आपेक्षित तैनात सफाई कर्मचारी वास्तव में तैनात थे या नहीं। परिणामस्वरूप इन समायोजनों की

वास्तविकता की पुष्टि नहीं हो सकी। नगर परिषद द्वारा तैनात सुाई कर्मचारियों की संख्या की पुष्टि के लिये क्या मापदण्ड अपनाये गये, का विवरण स्पष्ट किया जाये।

	दर प्रतिदिन	वर्ष
सफाई कर्मचारी	145	2007
जमेदार	180	2007
सफाई कर्मचारी	160	2009
जमेदार	220	2009

(ग) बस टिकटो के बिना बस किराये का भुगतान

ठेकेदार के सफाई कर्मचारी को होशियारपुर से आने व जाने के किराये का निम्न रूप से भुगतान किया गया, लेकिन इनके किराये के विरूद्ध बस टिकटें अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिसके अभाव में इन भुगतानों की पुष्टि नहीं हो सकी। बिना बस टिकटों के किराये के भगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

वर्ष	**भुगतान बस किराया**
2007	31680
2009	26270

(घ) ठेका राशि की प्राप्ति तिथि स्पष्ट न करना

वर्ष 2007 में मेला दिनांक 15.11.2007 तथा वर्ष 2009 में 27.10.2009 को समाप्त हुआ तथा ठेकेदार द्वारा इसके विरूद्ध वर्ष 2007 में ₹398150/—व वर्ष 2009 में ₹348320/—की राशि प्राप्त की दर्शाई गई, लेकिन यह राशि ठेकेदार द्वारा कब प्राप्त की गई, का कोई विवरण प्राप्ति रसीद/बिल पर दर्ज नहीं था। परिणामस्वरूप इन अग्रिम राशियों का औचित्य स्पष्ट नहीं हो सका। प्राप्ति रसीद से प्रतीत होता था कि यह राशि एक मुश्त ही भुगतान हुई थी। अतः उपरोक्त अग्रिमों की निकासी का औचित्य स्पष्ट किया जायें।

(ड.) कुटेशन नोटिस समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित न करना

इस सफाई कार्य हेतू कुटेशन नोटिस समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित नहीं किया गया। अगर इसे समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित किया होता तो और अधिक प्रतिस्पर्धा होती तथा अधिक न्यूनतम दर की लाभ होता। इसे समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में यह प्रक्रिया अपनाई जानी सुनिश्चित की जायें।

(8) मास 8/2008 के वाउचर संख्या 95 द्वारा ₹6389/— की राशि श्री प्रीतम चन्द को चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के फलस्वरूप भुगतान की गई, जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः—

(क) चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना

इसमें ₹3500/—की राशि कुल्लू से टांडा के लिये टैक्सी किराये के रूप में भुगतान की गई। इस सम्बंध में चिकित्सक द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया कि टांडा चिकित्सक में चिकित्सा लेने हेतू अन्य सार्वजनिक वाहन का प्रयोग स्वास्थ्य के लिये खतरनाक था, परिणामस्वरूप इसकी प्रतिपूर्ती की औचित्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। इस सम्बंध में सक्षम चिकित्सा अधिकारी से उपरोक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये तथा टांडा रैफर करने की परामर्श स्लिप भी प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(ख) टैक्सी द्वारा यात्रा करने पर सरकारी दर से अधिक भुगतान

कुल्लू से टांडा की दूरी लगभग 180 कि0मी0 है तथा अगर टैक्सी द्वारा यात्रा कों भी मान लिया जाये तो 180 कि0मी0 यात्रा के लिये ₹6/—प्रति कि0मी0 की सरकारी दर से ₹1080/—टैक्सी का किराया देय था, परिणामस्वरूप (3500—1080) ₹2420/—की राशि का अधिक भुगतान किया गया, जिसका औचित्य नियमों/अनुदेशों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई उपरोक्त राशि सम्बंधित से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(ग) सरकारी दर की प्रति उपलब्ध न करवाना

इसमें ₹450/— की राशि निजि प्रयोगशाला से टैस्टों के व्यय के रूप में भुगतान की गई, जबकि यह भुगतान सरकारी दर के अनुसार किया जाना था। इन टैस्टो के विरूद्ध सरकारी दरों की प्रति प्राप्त करके अगर अधिक दर पर भुगतान किया गया हो, तो इसकी विभागीय गणना करके अधिक भुगतान की दोषी से वसूली की जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(घ) Prescription Slip प्रस्तुत न करना

इस प्रतिपूर्ति दावे में ₹1970/—की राशि कुल्लू चिकित्सालय की चिकित्सा व्यय की शामिल थी, लेकिन इसके विरूद्ध सम्बंधित चिकित्सालय की Prescription Slip अंकेक्षण में

उपलब्ध नहीं करवाई गई, परिणामस्वरूप इस व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। आपेक्षित Prescription Slip सम्बंधित से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(9) आवश्यकता से अधिक क्रय

मास 8/2008 के वाऊचर संख्या 99 द्वारा ₹36270/–के व्यय में ₹30250/–की राशि CFL व टयूब फिक्सचर के क्रय की सम्मिलित थी। भण्डार रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि 22 अदद CFL के विरूद्ध 14 अदद तथा 22 अदद फिक्सचर के विरूद्ध 18 अदद अभी भी भण्डार में शेष थे। अगर इतनी मात्रा में आवश्यकता ही नहीं थी तो इनके क्रय का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा निम्न विवरणानुसार ₹19950/–के अपव्यय हेतू कार्यवाई की जाये।

भण्डार में मात्रा	मद का नाम	दर	मुल्य
14	CFL	1200	16800
18	Fixture	175	3150
			19950

(10) टायरों के द्वारा तय दूरी स्पष्ट न करना

निम्नलिखित राशियां प्रत्येक के आगे दर्शाई गई गाड़ियों के टायरों के क्रय पर व्यय की गई, लेकिन पुराने टायरों द्वारा कितनी किलो मीटर दूरी तय की गई, का कोई विवरण अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। परिणामस्वरूप इनके क्रय की औचित्य की पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त पुराने बदलें गये टायरों के भण्डार इन्द्राज भी अंकेक्षण में नहीं दर्शाये गये। उपरोक्त समस्त विवरण तैयार करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जायें।

मास	वा0सं0	राशि	मात्रा	वाहन सं0
8/2008	83	34600	(2+4)	H.P34–5066
8/2008	83	11000	2	2127
8/2008	88	20000	4	3666

(11) स्थापना का विवरण स्पष्ट न करनाः–

मास 8/2008 के वाऊचर संख्या 29 द्वारा ₹80000/–की राशि 50 अदद Tree Guard के क्रय पर व्यय की गई तथा भण्डार रजिस्टर से इसे शुन्य कर दिया गया, लेकिन इन्हें कहॉ पर स्थापित किया गया, का कोई ब्यौरा स्पष्ट नहीं किया गया। इनकी स्थापना का पूर्ण विवरण तैयार किया जाये तथा यह भी सत्यापित किया जाये कि ये प्रत्यक्ष रूप में भी विद्यमान है। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(12) भण्डार इन्दराज न दर्शाना

निम्न क्रय के विरूद्ध भण्डार इन्दराज अंकेक्षण में नहीं दर्शाये गये। परिणामस्वरूप इस क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। आपेक्षित भण्डार इन्दराज व इनका उपयोग आगामी अंकेक्षण में दर्शाये जाये।

मास	वा0सं0	राशि	मद का नाम	मुल्य
8/2008	80	2357	पैन्ट आदि	137
			रेहड़ी की	
			मुरम्मत	800
			यथोपरि	
			वहीकल की	920
			मुरम्मत	
				70
10/09	113 (26)	(905)	सैलो टेप	45
	113 (27)		सैल	48
	113 (28)		साबुन	10
	113 (29)		नेम प्लेट	300
10/2009	87	16389	निमन्त्रण पत्र	2100
10/2009	102	6480	पैन्ट	

(13) मास 10/2009 के वाउचर संख्या 69 द्वारा ₹95780/–की राशि मै0 स्माईल इन्टर प्राईजिज कुल्लू को भुगतान की गई, जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई:–

(क) निर्धारित तिथि से पूर्व टैन्डर फार्म का विक्रय

इसके क्रय हेतू दिनांक 29.11.2008 के पत्र संख्या 2033–35 द्वारा बजाज कम्पनी द्वारा निर्मित बिजली के सामान बारे टैन्डर आमन्त्रित किय गये तथा इनकों प्राप्त करने की तिथि 5.12.2008 निर्धारित की गई। इसके बाद नगर परिषद द्वारा दिनांक 4.12.2008 को पत्र संख्या 2045–46 द्वारा संशोधन जारी किया गया, जिसके द्वारा फिलप्स व हवेल ब्राडं की दरें भी आमन्त्रित की गई तथा इसके लिये टैन्डर की प्राप्ति तथा खुलने की तिथि 11.12.2008 निर्धारित की गई तथा टैन्डर बिक्री की तिथि 10.12.2008 निर्धारित की गई। टैन्डर फार्म की बिक्री के अवलोकन पर पाया गया कि इन्हें दिनांक 4.12.2008 को बेचा गया। जब टैन्डर

फार्म बिक्री की तिथि 10.12.2008 रखी गई थी तो इन्हें निर्धारित तिथि स पूर्व बिक्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ख) टैन्डर संशोधन को समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित न करना

टैन्डर संशोधन को समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित नहीं किया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ग) बिना कुटेशन से क्रय

बिल संख्या 24 दिनांक 24.4.2009 द्वारा ₹6328/–की राशि किटकैट के क्रय पर व्यय की गई, लेकिन यह मद न तो टैन्डर में थी तथा न ही इसके विरूद्ध कुटेशने आमन्त्रित की गई थी। बिना कुटेशन के इस क्रय का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(घ) बिल अलग–अलग प्रपत्र पर तैयार करना

बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि इनमे कुछ बिल बिल बुक से तैयार किये गये थे तथा कुछ कम्प्युटर द्वारा किये गये, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा आवकारी एवं कराधान विभाग से यह प्रमाणित करवाया जाये कि दोनों प्रकार के बिलों द्वारा चार्ज किया गया VAT जमा हो गया है। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

कम्पयूटर द्वारा तैयार बिल		बिल बुक से तैयार बिल	
बिल की कुल राशि	**वैट राशि**	**बिल की कुल राशि**	**वैट राशि**
41355	4595	36467	3880
6328	703	6496	721
3600	400		
1534	59		

(ड.) बिलों में टैन्डर दर से कम दर चार्ज करना

निम्नलिखित मदों की दरें एक ही टैन्डर के विरूद्ध अलग–2 चार्ज की गई थी। इससे प्रतीत होता है कि इन मदों की वास्तविक दर कम थी तथा टैन्डर में अधिक की गई थी। परिणामस्वरूप टैन्डर दर अनुसार दर चार्ज करने के कारण प्रतयेक प्रकरण के आगे दर्शाई गई राशि अधिक व्यय की गई, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक व्यय की गई राशि की संम्बधित से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये

मद का नाम	मात्रा	टैन्डर व बिल में चार्ज दर	बिल संख्या व तिथि	अन्य बिल में चार्ज दर	बिल सं0 व तिथि	टैन्डर व अन्य बिल में चार्ज दर का अन्तर	टैन्डर दर अनुसार अधिक व्यय
HPSV Lamp 70 wt	20	300+12.50 VAT	8206 22.6.09	205+12.50 VAT	20 23.4.09	15+12.50 VAT	338
OC Ballasb 70 wt	20	+80+12.50 VAT	8206 22.6.09	694+12.50 VAT	20 23.4.09	80+12.50 VAT	1935
							2273

(14) टैन्डर नोटिस समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित न करना

मास 10/2009 के वाऊचर संख्या 76 द्वारा ₹297000/–की राशि मै0 अर्श एण्ड प्राइजिज को स्ट्रीट लाईट पोल आदि के क्रय पर भुगतान की गई। इसमें ₹272000/–की राशि द्वारा स्ट्रीट लाईट पोल क्रय किये गये, लेकिन इसके विरूद्ध टैन्डर/कुटेशन नोटिस समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित नहीं किय गये, जबकि इतनी अधिक राशि के क्रय के विरूद्ध अगर टैन्डर/कुटेशन नोटिस समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित की होती तो अधिक स्पर्धा के कारण और न्यूनतम दर का लाभ उठाया जा सकता था। इस क्रय हेतू टैन्डर नोटिस समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(15) मास 8/2008 के वाउचर संख्या 72 (A) द्वारा ₹98013/–की राशि निम्नविरणानुसार पिपल मेंला में गणमान्य व्यकवियों व कलाकारों के भोजन पर व्यय की गई:–

बिल तिथि	बिल संख्या	व्यय	होटल व दावा मालिक का नाम	मात्रा	दर
28.4.2008	1609	21580	मैं0 सीटी चुआईस	83	250+VAT
29.4.2008	1613	8919	यथोपरि	49	175+ VAT
30.4.2008	1616	22360	यथोपरि	86	250+ VAT
14.7.2008	–	7800	अनिल शर्मा	195	40 Dinner
	–	730	अनिल शर्मा	73	10 Break Fast
	–	6055	अनिल शर्मा	173	35 Lunch

–	10200	अनिल शर्मा	255	40 Dinner
–	1270	अनिल शर्मा	127	10 Break Fast
–	5250	अनिल शर्मा	150	35 Lunch
–	11000	अनिल शर्मा	275	40 Dinner
–	2640	अनिल शर्मा	330	8 coffee
–	210	अनिल शर्मा		3 Tea

इसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

(क) बिना संविदा के क्रय

उपरोक्त व्यय के विरूद्ध संविदायें आमन्त्रित नहीं की गई। अतः बाजार की प्रतिस्पर्धा दर का लाभ नहीं उठाया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा एक संविदा का क्रय मानकर, सक्षम प्राधिकारी से इसकी कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(ख) भाग लेने वालों की सूची उपलब्ध न करवाना

उपरोक्त भोजन व्यवस्था में भाग लेने वालों की सूची अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई। परिणामस्वरूप इस व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। आपेक्षित सूची आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जायें

(ग) अनियमित व्यय

इस व्यय का पालिका अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्रावधान नहीं था। इसका औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाये तथा इसे सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(16) निम्नलिखित राशियां सोलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजैक्ट में कूड़े की छंटाई की ठेका राशि के फलस्वरूप भुगतान की गई

क्र0सं0	मास	वा0सं0	राशि	ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मचारी	ठेकेदार का नाम	अतिरिक्त तैनात कर्मचारी

1	10/2007	64	39500	10	चिरंजी लाल	दैनिक वेतन भोगी 6
2	8/2008	65	46500	10	यथोपरि	6
3	10/2009	55	46500	10	यथोपरि	6

इसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

(क) दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी तैनात होने के बावजूद कार्य को ठेके पर देंना

अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि उपरोक्त कार्य हेतू ठेके के अतिरिक्त 6 अदद अतिरिक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी तैनात थे। इतनी अधिक संख्या में दैनिक वेतन भोगी तैनात होने के बावजूद इस कार्य को ठेके पर देने का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

(ख) प्रगति रिर्पोट प्राप्त न करना

उपरोक्त ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन कितने कचरे की छंटनी करनी थी तथा कितनी की गई, की कोई प्रगति रिर्पोट प्राप्त नहीं की गई। परिणामस्वरूप इस भुगतान की औचित्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। इन भुगतानों की औचित्यता के समर्थन में क्या तथ्य थे, स्पष्ट किये जाये। अनुपालना अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(17) यात्रा भत्ते का अधिक भुगतान

मास 10/2009 के वाउचर संख्या 115 द्वारा ₹1727/–की राशि कार्यकारी अधिकारी को यात्रा भत्ते के रूप में भुगतान की गई। अंकेक्षण में की गई गणना के अनुसार देय राशि ₹1685/–बनती थी। परिणामस्वरूप ₹42/–का अधिक भुगतान किया गया, जिसका औचितय स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि सम्बंधित से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(18) विज्ञापन पर अनियमित व्यय

मास 10/2009 के वाउचर संख्या 106 के द्वारा ₹3000/–की राशि पैन नामक पत्रिका में विज्ञापन प्रकाशित करने पर व्यय की गई। निदेशक शहरी विकास के पत्र संख्या VLB-H(A)(7)-1/87-9237-9284 दिनांक 20.6.2001 द्वारा इस प्रकार के विज्ञापन हेतू निदेशक शहरी विकास की पूर्व स्वीकृति आपेक्षित थी, जो कि प्राप्त नहीं की गई, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसकी सक्षम प्राधिकारी से आपेक्षित कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(19) मजदूरों के कार्य की कम प्रगति

निम्नलिखित राशियां दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को Repair of bath and drain to Kullu Town के कार्य हेतू भुगतान की गई

मास	**वा0सं0**	**राशि**	**मजदूरों की सं0**	**माप पुस्तक**
8/2008	52	11500	5	24/27–28
10/2009	41	13420	5	25/64–65

उपरोक्त कार्य हेतू इन दैनिक वेतन भोगी मजदूरों के अतिरिक्त 18 नियमित मजदूर व 2 मिस्त्री भी तैनात किये गये थे। माप पुस्तक 24/27–28 में दर्शाई गई प्रगति के अवलोकन पर पाया गया कि सीमेन्ट ककीर 1:2:3 के निष्पादन की मात्रा 16.40 घनमीटर की अपेक्षा 15.18 घनमीटर बनती थी, जबकि माप पुस्तिका में 16.40 घनमीटर के अनुसार ही प्रगति की गणना की गई थी। इसके अतिरिक्त माप पुस्तिका 24/27–28 व 25/64–65 पर Dressing in मद की दर ₹9.40 प्रति वर्ग मीटर दर्शाई गई, जबकि इसकी दर सूची अनुसार दर ₹1.84/– प्रति वर्ग मीटर थी तथा प्रगति से 15 प्रतिशत की दर से ठेकेदार का लाभांश व Overhead Charges कम नहीं किये गये। अतः अंकेक्षण गणना अनुसार कुल प्रगति निम्न विवरणानुसार वास्तविक भुगतान से कम पाई गईः–

माप पुस्तक संख्या 24/27–28 के अनुसार प्रगति

1	अंकेक्षण गणना अनुसार कार्य का मुल्य	30681
(–)	उपरोक्त में 81 कार्य दिवस मैदान की सफाई हेतू	8100
		22581
(–)	ठेकेदार का लाभांश व Overhead Charges@15%	3387
		19194
(+)	81 कार्यदिवस मैदान की सफाई हेतू (81x100)	8100
		27294
1999 की दर सूची पर मजदूरी में बढ़ौतरी		
(1)	नियमित मजदूर (18x30x49)	26460
(2)	नियमित मिस्त्री (2x30x127.65)	3720
(3)	दैनिक वेतन मजदूर(155-81x49)	1666
	कुल प्रगति	**59140**
	भुगतान	
(1)	नियमित मजदूरों की दैनिक मजदूरी (18x30x100)	54000
(2)	नियमित मिस्त्रियों की दैनिक मजदूरी (2x30x127)	76200
(3)	दैनिक वेतन भोगियों की मजदूरी	11500

		73120
(–)	नियमित मजदूरों के अपने अवकाश व राजपत्रित अवकाश का वेतन उपस्थिति रजिस्टर अनुसार (21+18 x100)	3900
		69220
(–)	नियमित मिस्त्री के अपने अवकाश व राजपत्रित अवकाश का वेतन उपस्थिति रजिस्टर अनुसार (1+2 x127)	381
(–)	प्रगति	68839
	कम प्रगति	59140
		9699
2	माप पुस्तक संख्या	25 / 64.65
अंकेक्षण गणना अनुसार कार्य का मुल्य		18343
(–)	निशानदेही की मजदूरी @ 51perday 180mondays	
		9180
		9163
(–)	ठेकेदार का लाभांश व overhead Charges @ 15%	
		1375
		7788
(+)	निशानदेही की मजदूरी	9180
		16968
(+)	1999 की दर सूची पर दैनिक वेतन की बढ़ौतरी	
(1)	नियमित मजदूर	
	(18x31x59)(110–51)=59	32922
(2)	नियमित मिस्त्री (2x31x75)(140–65)=75	4650
(3)	दैनिक वेतन मजदूर(122x591)	7198
	कुल प्रगति	**61738**
	भुगतान	
(1)	नियमित मजदूरों की मजदूरी	
	(18x31x110)	61380
(2)	नियमित मिस्त्रियों को दैनिक मजदूरी	
	(2x31x140)	8680
(3)	दैनिक वेतन भोगियों की मजदूरी	
	(122x110)	13420

		83480
(–)	नियमित मजदूरों के अपने व राजपत्रित अवकाश का दैनिक वेतन (9½+18 x110)	3025
		80455
(–)	नियमित मिस्त्री का अपना व राजपत्रित अवकाश का दैनिक वेतन (4+2 x140)	840
		79615
	कम प्रगति (79615–61738)	17877

(20) मंहगीदर पर क्रय के कारण अधिक व्यय

मास 10/2009 के वाऊचर संख्या 76 द्वारा दिनांक 26.9.2009 को ₹25000/–की राशि 50 किवन्टल चूने के क्रय पर व्यय की गई तथा यह चूना मै0 अर्श इन्टर प्राईजिज कुल्लू से ₹500/–प्रति किव्वंटल की दर से क्रय किया गया, लेकिन निम्न प्रकरणों में चूना विभिन्न मंहगी दरों पर क्रय किया गया, जबकि उपरोक्त क्रय अनुसार बाजार भाव ₹500/–प्रति किव्वंटल था, परिणामस्वरूप मंहगी दर पर चूना क्रय करने के कारण प्रत्येक के आगे दर्शाई गई राशि अधिक व्यय की गई, जिसका औचित्य स्पष्टकिया जाये अन्यथा मंहगी दर पर क्रय करने के फलस्वरूप अधिक व्यय की गई राशि तथा अन्य इसी प्रकार के प्रकरणों की विभागीय जॉच करके अधिक दर पर क्रय के कारण अधिक व्यय की विभागीय गणना करके सम्बंधित से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शायी जाये।

क्रमांक	**वा0 सं0**	**राशि**	**क्रय तिथि**	**मात्रा**	**क्रय दर**	**जिससे क्रय किया गया**	**मै0 अर्श इन्टर प्राईजिज की दर**	**मंहगी दर पर क्रय के कारण अधिक व्यय**
10/2009	93	15290	17.9.2009	22किव्वंटल	695/–	जोगेन्द्र सिंह	500	4290
10/2009	61	9375 3125	3.8.2009 व 30.4.2009	20किव्वंटल	625/–	कपिल जनरल स्टोर	500	2500
10/2009	60	23718	6.5.2009	15किव्वंटल	625/–	मै0	500	1875

						विशाल सेल्ज कार्पोरेशन		
10/2009	67 व 68	21356	18.11.2008 व 29.1. 2009	30 क्विंटल	625/–	मै0 रत्न चन्द	500	3750
								12415

(21) बिना स्वीकृति से मजदूरों की तैनाती

निम्नलिखित राशियां दैनिक वेतन भोगी मजदूरों/कर्मचारियों को भुगतान की गई थी, लेकिन इनकी तैनाती/नियुक्ति हेतू सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी, जिसका औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाये अन्यथा सक्षम अधिकारी से इनकी मस्टररोल पर नियुक्ति हेतू कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

मास	**वा0सं0**	**राशि**	**सं0**	**कार्य दिवस**	**उद्देश्य**
8/2008	48	19250	10	192½	सफाई कार्य
8/2008	49	17150	6	171½	खाद छंटनी पिरडी
8/2008	50	8500	3	85	पार्कों का सुधार
8/2008	51	6000	2	60	–
10/2008	52	11500	5	115	निर्माण कार्य
10/2009	41	13420	5	122	यथोपरि
10/2009	42	10010	3	91	पार्कों का सुधार
10/2009	43	16225	7	147½	सफाई कार्य
10/2009	44	19140	6	174	खाद छंटनी
10/2009	45	6820	2	62	–
10/2009	90	3850	5	35	दशहरा कार्य
10/2007	41	21974	18	293	सफाई कार्य
10/2007	42	15675	7	209	खाद छंटनी
10/2007	43	4650	2	62	कार्यलय में कार्य हेतू

10/2007	44	825	1	11	स्ट्रीट लाईट
10/2007	46	11925	7	159	पार्कों के सुधार हेतू
10/2007	47	5850	7	78	शहर में रास्ते गलियों का निर्माण
10/2007	48	6825	7	91	शहर में रास्ते व गलियों का निर्माण

(22) कार्यकारी अधिकारी को मोबाईल का निर्धारित दर से अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण के दौरान वाऊचर संख्या 91, माह 10/07 की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि कार्यकारी अधिकारी को प्रतिमाह ₹400/–की दर से मोबाईल बिल का भुगतान किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ₹200/–प्रतिमाह का भुगतान देय था। परिणाम स्वरूप ₹200/–का अधिक भुगतान किया गया, जिसका औचित्य अनुदेशों के अनुसार स्पष्ट किया जाये अन्यथा उपरोक्त अधिक भुगतान की राशि तथा अन्य ऐसे ही प्रकरणा की विभागीय जॉच करके अधिक भुगतान की सम्बंधित से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में बताई जाये।

(23) निम्न राशियां प्रत्येक के आगे दर्शाए गये उद्देश्य पर व्यय की गईः–

क्र0सं0	मास	वा0सं0	राशि	विवरण	
1	10/09	91	4000	हार आदि	
2	10/09	91	13200	शॉल आदि	
3	10/09	91	1420	सब्जी आदि	
4	10/09	91	1870	गिलास	
5	10/09	91	1510	दही आदि	कुल्लू वैली फूड एण्ड
6	10/09	91	1080	वालन	
7	10/09	91	5000	बैड	प्रताप चन्द
8	10/09	91	8000	रसोईये का भुगतान	नन्द किशोर
9	10/09	91	8545	फैन्शी गैट आदि	
10	10/09	91	1388	गैस	
11	10/09	91	1200	टैक्सी किराया	टैक्सी आपरेटर यूनियन

12	10/09	91	2500	हैल्पर रसोईया	दिनेश
13	10/09	91	3000	बाजा बजन्तरी	भाग चन्द
14	10/09	91	3480	कोल्ड ड्रिंक	नगर पंचायत कैन्टीन
15	10/09	91	10083	करियाना	मै0 ललित इन्टर प्राईजिज
16	10/09	91	3360	यथोपरि	यथोपरि
17	10/09	91	10357	यथोपरि	यथोपरि
18	10/09	91	17500	यथोपरि	संजीव कुमार
19	10/09	91	9500		मै0 वाटिका दी फलोटिस्ट
			106993		
20	10/2009	59	57100	फोटोग्राफर(पिपलू मेला)	
21	10/2009	92	15000	यथोपरि	
22	10/2009	103	20858	मुख्यामन्त्री के ठहराव पर व्यय	
23	10/2009	59	2000	रैडक्रास मेले के उदघाटनपर बैंड मास्टर का भुगतान	
24	8/2008	97	2000	मुख्यामन्त्री के आगमन पर बैंड मास्टर का व्यय	

इसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः–

(क) अनियमित व्यय

उपरोक्त व्यय का पालिका निधि में कोई प्रावधान नहीं था। इस व्यय का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाये अथवा इसकी सक्षम प्राधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये। उक्त क्रय किये सामान का उद्देश्य अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया , जिसके अभाव में इस व्यय के सही होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(ख) संविदाओं के बिना क्रय

क्रम संख्या 4,7,8,11 से 19 तक के व्यय के विरूद्धसंविदायें आमन्त्रित नहीं की गई, परिणामस्वरूप बाजार की न्यूनतम प्रतिस्पर्धा पर का लाभ नहीं उठाया गया, जिसका औचित्य

स्पष्ट किया जाये अन्यथा इसे संविदा का व्यय/क्रय मानकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति लेकर इसे नियमित करवाया जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(ग) भण्डार इन्दराज व उपयोग न दर्शाना

क्रम संख्या 1,2,3,4,5,6, व 14 से 19 से 21 के क्रय के विरूद्ध भण्डार इन्दराज व प्रयोग अंकेक्षण में नहीं दर्शाये गये, परिणामस्वरूप इस व्यय की औचित्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। इस चूक का लेखांकन करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(24) होनरेरियम का अनियमित भुगतानः–

निम्नलिखित राशियॉ कर्मचारियों को मेला अवधि में अतिरिक्त कार्य करने के लिये मानदेय (Honerarium) के रूप में भुगतान की गई। हिमाचल प्रदेश पालिका अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के किसी मानदेय का कोई प्रावधान नहीं है। इसका औचित्य नियमों के अनुसार स्पष्ट किया जाए तथा अनियमित रूप से किये गये भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शायी जाये।

मास	वा0सं0	राशि		
10/2009	92 (बी)	202214	(Payment Drawn	218616
	92 (सी)		payment	15400
		15702		234016
		16100	Paymend Made	218314
			Excer depositiedon	15702
			110.12.2009)	
8/2008	82	99700		
8/2008	96	1900		
10/2007	96	222096		

(25) अनियमित अनुदान

निम्न राशियां प्रत्येक के आगे दर्शाई संस्थाओं को अनुदान के रूप में भुगतान की गई। इन अनुदानों का औचित्य नियमों के दृष्टिगत स्पष्ट किया जाये अन्यथा इन्हें सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये। एक तो नगर परिषद की वित्तीय

स्थिति पहले से ही चिन्ताजनक है तथा इसके बावजूद नगर परिषद द्वारा अनुदान देना इसकों चिन्ताजनक बनाना है।

मास	वा0सं0	राशि	जिसको भुगतान किया गया।
10/2009	111	11000	सैक्रेटरी बास्केटबाल ऐसोसिएशन
10/2009	111	5000	एसिसटेन्ट फिजिकल एजयूकेशन अफसर
10/2007	66	10000	एच0पी0स्टेट हाकी टूर्नामेन्ट
10/2007	77	25000	विन्टर कार्निवाल मनाली

9 निर्माण कार्य

(1) अधिक खपत

माप पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 27 पर c.c.1:2:4 की निष्पादित मात्रा अंकेक्षण गणना अनुसार 1518 M^3 बनती थी, जबकि माप पुस्तिका मे 1646 M^3 दर्शाया गया, परिणामस्वरूप 1. 28 M^3 मात्रा अधिक दर्शाने के कारण निम्न विवरणानुसार निर्माण सामग्री का अधिक उपयोग दर्शाया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक दर्शाई गई, निर्माण सामग्री की कीमत बाजार भाव से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये। यह कार्य विभागीय मजदूरों द्वारा किया गया था।

निर्माण सामग्री का नाम	अंकेक्षण गणना अनुसार खपत	दर्शाई गई खपत	अधिक दर्शाई खपत
सीमेन्ट	98 बोरी	105 बोरी	7 बोरी
बजरी	13.51 घन मीटर	14.59 घन मीटर	1.08 घन मीटर
रेता	7.13 घन मोटर	7.33 घन मीटर	.20 घन मीटर

(2) वाऊचर संख्या 94 मास 10/07 ₹67850/–

उक्त राशि शौचालय की मुरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय की गई जिस में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई

(क) निविदाओं में overwriting को ठेकेदारों द्वारा सत्यापित नहीं करना:–

उपरोक्त कार्य की निविदाओं की जॉच पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मदों में overwriting की गई, जिन्हें न तो ठेकेदारों द्वारा सत्यापित किया गया तथा न ही इस

सम्बन्ध में टैण्डर खोलने पर overwriting की संख्या को प्रमाणित किया गया जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाये।

ठेकेदार का नाम	**मद सं0**
श्री शिव चन्द	4,6,11,12,15,16,18,20,22
श्री राम सिंह	3,4,5,6,7,9,10,11,14,15,16,17,18,19,27
श्री अतुल गुप्ता	3,4,5,6,7,9,32

(ख) नगर परिषद प्रस्ताव सं0 14 दिनांक 29.6.07 द्वारा उक्त कार्य के लिये ₹49500/– स्वीकृत किये गये, जबकि कार्य में ₹67850/–व्यय किये गये। स्वीकृत राशि से अधिक व्यय की गई राशि की कार्यात्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में बताई जाये।

(3) विलम्ब कार्य के लिये दण्ड वसूली न करना

निम्नलिखित प्रकरणों में निर्माण कार्य निर्धारित अवधि की अपेक्षा विलम्ब से पूर्व किये गये। आंबटन पत्र की शर्तों के अनुसार अगर ठेकेदार विलम्ब से कार्य पूर्ण करता है तो उससे विलम्ब कार्य के लिये प्रत्येक के आगे दर्शाई गई राशि दण्ड के रूप में वसूल की जानी थी जो कि नहीं की गई, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्शाई देय दण्ड राशि सम्बंधित से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

मास	**वा0 सं0**		**निर्माण कार्य का नाम**	**ठेकेदार का नाम**	**कार्य आबंटन की तिथि**	**कार्य समाप्ति की निर्धारित अवधि**	**कार्य समाप्ति की तिथि**	**विलम्ब कार्य के लिये दण्ड**	**देय दण्ड राशि**
8/2008	25	225935	Restoration of path curborell to Deodher	राम सिंह	14.8.2007	2 मास	3.1.2008	1157 प्रतिदिन अधिकतम 11571	11571
10/2007	81	194550	Rocking hear Hospital	कृष्णकांत	21.3.2007	2 मास	30.9.2007	₹1742/– प्रतिदिन अधिकतम ₹17428/–	17428
10/2007	92	1101589	Restoration	राम सिंह	17.3.2007	1 मास	3.8.2007	₹2270/–	22702

			of Path etc.					प्रतिदिन अधिकतम ₹22702	
10/2009	95	109693	Read from Bhag Singh towplo to sarian	जगदीश	30.3.2009	2 मास	7.9.2009	₹1650/— प्रतिदिन अधिकतम ₹16587	16587

(4) निष्पादित मदों की गलत गणना के फलस्वरूप अधिक भुगतान

निम्नलिखित प्रकरणों में निष्पादित की गई मात्रा अंकेक्षण गणना अनुसार कम बनती थी, जबकि माप पुस्तक में अधिक दर्शाई गई जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण के आगे दर्शाई गई राशि का अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि सम्बंधित से वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दशाई जाये।

माप पुस्तक व पृष्ठ सं0	**मद का नाम**	**अंकेक्षण गणना अनुसार मात्रा**	**माप पुस्तक**	**अन्तर**	**दर**	**अधिक भुगतान**	**ठेकेदार का नाम**
25/7	P&L c.c.1:2:4Raint	29.74m^3	29.92m^3	18 m^3	2450	441	श्री राम सिंह
18/08	Removed of old Paint	4.05	2.03	2.02	12	24	श्री अपुल गुप्ता
18/69	Peining Coat on wood	71.52	69.50	2.02	28	56	यथोपरि
18/69	Painting two coatson wood	71.52	69.50	2.02	37	74	यथोपरि
18/69	P&F P.V.C connection	12	11	1	65	65	यथोपरि

18/69	P&F urinal seprator	7	6	1	174	174	यथोपरि
14/94	Steel work wolded in back up section 15x65x6mm	668.67 KG	110147 KG	432.80 KG	42	18178	श्री शिव चन्द
						19012	

(5) देय पर से अधिक दर के कारण अधिक भुगतान

मास 8/2008 के वाउचर संख्या 74 द्वारा ₹83399/–की राशि "Payement of bath hear tho H/O Sh. Bhag Singh at Chamunda Nagar" के निर्माण कार्य पर व्यय की गई। बिल के अवलोंकन पर पाया गया कि इस निर्माण कार्य मे Dressing of brand की मद का ₹9.40/– प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान किया गया, जबकि इसकी दर सूची अनुसार दर ₹1.84/–प्रति वर्गमीटर थी परिणामस्वरूप दर सूची से अधिक दर पर भुगतान करने के कारण 102.06 वर्गमीटर के निष्पादन पर (9.40–1.84)+47.52x102.06 ₹1138/–का श्री जोगेन्द्र सिंह को अधिक भुगतान किया गया जिसका औचित्य स्पष्टकिया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गई राशि सम्बंधित से वसूल करके अनुपालन आगामी अंकेक्षण में दर्शायी जाये।

(6) अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट"ञ" पर दर्शाये गये निर्माण कार्यों में प्रत्येक के सामने दर्शाये गये अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को इन अभिलेखों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाने हेतू अधियाचना संख्या 2 व 4 क्रमाशः दिनांक 14.9.2010 व 29.9.2010 द्वारा अनुरोध किया गया, लेकिन इस अधियाचना का न तो कोई उत्तर दिया गया तथा न ही सम्बंधित अभिलेख अंकेक्षण को उपलब्ध करवाये गये जो कि आपत्तिजनक ही नहीं अपितु असन्तोषजनक भी है। इन निर्माण कार्यों के विरूद्ध आपेक्षित समस्त अभिलेख तलाश करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(7) निर्माण कार्यों में वार्ड का विवरण न दर्शाना

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि निर्माण कार्यों के विरूद्ध जिस वार्ड में कार्य करवाया गया, का विवरण बिल व माप पुस्तक में स्पष्ट नहीं किया गया, परिणाम स्वरूप इसकी पुष्टि अंकेक्षण में नहीं की जा सकी कि ये निर्माण कार्य नगर परिषद की सीमा के भीतर करवाये

गये थे। नगर परिषद इस सम्बंध में प्रमाणित करें कि अंकेक्षण अवधि म समस्त निष्पादित निर्माण कार्य परिषद की सीमा के भीतर थे। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(8) मास 8/2008 के वाउचर संख्या 72 द्वारा ₹150000/—की राशि में सूतधार कला संगम को मुरम्मत के कार्य हेतू भुगतान की गई, जिसमें निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गईः—

(क) नगर परिषद द्वारा निर्माण कार्य अपने स्तर पर न करना

यह राशि उपायुक्त कार्यलय से उपरोक्त संस्था के मुरम्मत के कार्य हेतू प्राप्त हुई थी। नगर परिषद के पास अपना तकनीकि स्टॉफ है तथा इस कार्य का निष्पादन नगर परिषद द्वारा अपने स्तर पर करवाना चाहिये था। इस कार्य को नगर परिषद द्वारा अपने स्तर पर न करवाने का औचित्य अनुदान की शर्तों के अन्तर्गत स्पष्ट किया जाये।

(ख) उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

इसके विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि अब प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दशायी जाये।

10 भण्डारः—

(1) भण्डार से जारी सामान के विरूद्ध पावती प्राप्त न करना

भण्डार रजिस्टरों के अवलोकन पर पाया गया कि भण्डार से जारी सामान के विरूद्ध अधिकतर प्रकरणों में प्राप्त कर्ता के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये। उदाहरण के लिये कुछ प्रकरणों का विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट"ट" पर दिया गया है। जिसके अभाव में भण्डार से जारी सामान की पुष्टि नहीं हो सकी। इन प्रकरणों में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर तथा अन्य इसी प्रकार के सभी प्रकरणों की विभागीय जॉच करके आपेक्षित कार्यवाई की जाये तथा भविष्य में भी इस प्रक्रिया को अपनाया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त सभी स्टॉक रजिस्टरों का एक इनवैटरी रजिस्टर तैयार किया जाये जिसमें सभी रजिस्टर दर्ज किये जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये। इसके अतिरिक्त निर्माण कार्य में उपयोग हुये सामान के विरूद्ध जिस माप पुस्तक द्वारा इसकी खपत की गई, के सन्दर्भ में दर्ज किया जाये।

(2) गलत गणना के फलस्वरूप सीमेन्ट के दुरूपयोग की आशंका

सीमेन्ट के भण्डार रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 26.2.2010 को सीमेन्ट का शेष अंकेक्षण द्वारा की गई गणना के अनुसार 27 बोरी होना चाहिये था, लेकिन भण्डार रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 31 पर 17 बोरी दर्शाया गया परिणामस्वरूप 10 बोरी सीमेन्ट कम दर्शाया गया, जिसकी वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

(3) सामान को आगामी स्टॉक में दर्ज न करना

निम्न प्रकरणों में भण्डार में पड़े शेष सामान को आगे नहीं लिया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इनकी सम्बधित से कीमत वसूल करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

भण्डार रजिस्टर का नाम	**तिथि**	**मद का नाम**	**मात्रा जो आगामी स्टॉक में नहीं जोड़ी गई**	**रजिस्टर पृष्ठ संख्या**
सैनेटरी	15.9.07	रस्सी	4 कि0ग्रा0	50
स्टेशनरी	19.2.01	रजिस्टर	3	16
स्टेशनरी	13.3.08	गम बोटल	1	61
स्टेशनरी	1.12.09	कार्बन	1	65

(4) भण्डार की गलत गणना के कारण भण्डार में पड़े सामान को कम दर्शाना

भण्डार रजिस्टरों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में भण्डार में पड़े सामान का शेष अंकेक्षण गणना अनुसार अधिक बनता था, लेकिन रजिस्टर में कम दर्शाया गया परिणामस्वरूप प्रत्येक के आगे दर्शाई गई मात्रा कम पाई गई, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा कम दर्शाई मात्रा की सम्बंधित से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

भण्डार रजिस्टर का नाम	**तिथि**	**मद का नाम**	**अंकेक्षण गणना अनुसार शेष**	**रजिस्टर में दर्शाया शेष**	**कम दर्शाई मात्रा**	**रजिस्टर पृष्ठ संख्या**
बिजली–1	1.9.2009	बल्टा	95	94	1	29
बिजली–2	20.4.09	कपैस्टर	17	7	10	52
बिजली–4	20.2.08	स्टाटेर ट्यूब	6	4	2	56
बिजली–4	2.1.09	स्टोटर ट्यूब	49	48	1	54
बिजली–4	14.10.09	ट्यूब होल्डर	64	59	5	67
सैनेटरी	5.10.08	फिपाईल	250लीटर	210	40	41

सैनटरी	30.4.09	चूना	499किलोग्राम	400	99	56
सैनेटरी	3.10.09	चूना	1900किलोग्राम	1700	200कि0ग्रा0	57
स्टेशनरी	1.8.07	फाईल कवर	52	50	2	5
स्टेशनरी	21.1.2010	फाईल कवर	52	50	2	94
टैण्डर फार्म	1.8.2007	टैण्डर	808	807	1	69
रजिस्टर	16.12.2008	फार्म टैण्डर फार्म	547	344	203	81

(5) अनुचित क्रय

तकनीकि शाखा के भण्डार रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार ₹50281/—की राशि के सामान का आज तक कोई उपयोग नहीं किया गया तथा भण्डार में अभी भी शेष है। अगर इस सामान की आवश्यकता ही नहीं थी तो इसे क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस अपव्यय हेतू सम्बंधित के विरूद्ध उचित कार्यवाई की जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

रजिस्टर	**पृष्ठ संख्या**	**मद का नाम**	**मात्रा**	**मुल्य**	**क्रय की तिथि**
2007—08	5	R.cc Pipe	160 मीटर (150mm) 20 मीटर	29120	10.7.2007
2007—08	57	Interlinked Chain	92 मीटर	21161	25.8.2008
				50281	

11 वाहनः—

(1) औसत तेल खपत का निर्धारण न करना

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वाहनों की औसत तेल खपत का सक्षम प्राधिकारी से निर्धारण नहीं करवाया गया, जबकि नियमों के अनुसार यह प्रत्येक वर्ष के अन्त में निर्धारित की जानी आपेक्षित होती है तथा इस निर्धारित औसत खपत को अगले वर्ष या आगामी टैस्ट चैक जो भी पहले हो, तक बनाये रखना आपेक्षित होता है। इनकी औस्त तेल खपत निर्धारित न करवाये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा आपेक्षित कार्यवाई अब करके अगर निर्धारित औस्त खपत से कम खपत पाई जाये तो इसकी विभागीय गणना करके सम्बंधित से इसकी वसूली की जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(2) वाहन संख्या H.P.34.3666

(क) औस्त तेल खपत में भिन्नता

निम्न प्रकरणों में औस्त तेल खपत में भिन्नता पाई गई, जबकि इस भिन्नता का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया गया। इस भिन्नता का औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा कम औस्त खपत की विभागीय गणना करके सम्बंधित से इसकी वसूली की जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

मास	औस्त
10/2007	6.95 कि0मी0 प्रतिलीटर
8/2008	6.40 कि0मी0 प्रतिलीटर
10/2009	6.50 कि0मी0 प्रतिलीटर

(ख) कार्यलय आदेश उपलब्ध न करवाना

मास 8/2008 में गाड़ी V.V.I.P काय के लिये 197 कि0मी0 उपयोग की गई। अंकेक्षण को मौखिक तौर पर बताया गया कि इसे जिलाधीश कुल्लू के निदेशों पर उपरोक्त कार्य के लिये भेजा गया था, लेकिन जिलाधीश के लिखित आदेश अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाये गये। आपेक्षित आदेश आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें तथा इसकी वसूली जिलाधीश कार्यालय से वसूल न करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाये।

(3) वाहन संख्या H.P.34.4366

लॉगबुक सत्यापित न करना

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि लोग बुक को नियन्त्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा आपेक्षित कार्यवाही अब करके अन्य वाहनों की लॉग बुकों में भी विभागीय जांच करके आपेक्षित कार्यवाही की जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(4) इन्सीटेटट

(क) औस्त तेल खपत का निर्धारण न करवाना

लोग बुक के अवलोकन पर पाया गया कि इसकी औसत तेल खपत 16 लीटर प्रति घण्टा है, लेकिन इसका सक्षम अधिकारी से निर्धारण नहीं करवाया गया था, परिणामस्वरूप इसकी औस्त खपत की पुष्टि नहीं हो सकी। इसकी औस्त तेल खपत का सक्षम तकनीकी प्राधिकारी से निर्धारण करवाया जाये तथा वास्तविक कम औस्त पाए जान पर इसकी विभागीय गणना करके सम्बंधित से इसकी वसूली की जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

(ख) गलत गणना के फलस्वरूप पैट्रोल कम दर्शाना

लॉग बुक के पृष्ठ संख्या 83 पर 5.10.2007 158 लीटर पैट्रोल में से 16 लीटर प्रयोग होने के बाद 142 लीटर शेष बचना चाहिये था, जबकि लॉगबुक में 134 लीटर शेष दर्शाया गया। इस प्रकार 8 लीटर पैट्रोल कम दर्शाया गया, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा दर्शाये गये पैट्रोल की सम्बंधित से वसूली करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाये।

12 IDSMT

10.6.2009 को ₹1500000/—की राशि वेतन के भुगतान हेतू वाऊचर संख्या 108 द्वारा पालिका निधि के खाता संख्या 12804 में हस्तांतरित की गई, इसमें से ₹800000/—की राशि दिनांक 13.7.2009 को वापिस कर दी गई थी, जबकि ₹700000/—की राशि अभी भी वापिस करने हेतू शेष थी। इस राशि को उपरोक्त योजना के खाते में शीध्र वापिस किया जाये तथा भविष्य में इस प्रक्रिया को बन्द किया जाये। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शायी जाये।

13 अग्रिमः—

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार जिसका विवरण अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट ढ व ड पर दिया गया है। ₹1240550/—व ₹367147/—की राशि क्रमशः कार्यालय कार्य हेतू अग्रिम व गृह ऋण के रूप में दिनांक 31.3.2010 तक समायोजन हेतू शेष थी। इनके समायोजन लेखें सम्बंधित से शीध्र प्राप्त किये जायें अन्यथा वह राशियां दण्ड ब्याज सहित वसूल की जायें तथा इनके आज तक समायोजन हेतू कार्यवाई न करने का कारण भी स्पष्ट किया जाये।

14 आपत्ति विवरणीः— यह अलग से जारी नहीं की गई है।

15 निष्कर्षः—

लेखाओं के रखरखाव में सुधार व कड़े नियन्त्रण की आवश्यकता है। नगर परिषद प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतू विशेष ध्यान दें।

हस्ता / —

संयुक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः V (13) फिन (एल0ए0डी0)—2566—2568 दिनांक 19.05.2011, शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित है :—

पंजीकृत 1 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजें।

2 निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0, शिमला—171002 को सूचनार्थ हेतू।

3 वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हि0प्र0 शिमला—171003

हस्ता / —

संयुक्त निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.